ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

जून 2018 अंक 02

विषय सूची

जून 2018
अंक–2

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01–16

- पुनः जीवीए से जीडीपी की ओर
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ
- महिला सुरक्षा प्रभागः संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा
- भारत-इंडोनेशिया के संबंधों में नया आयाम
- पवन ऊर्जाः अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के दर्पण में
- साइबर बुलिंग का बढ़ता खतरा
- पर्यावरण संरक्षण में विश्व पर्यावरण दिवस की प्रासंगिकता

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 17–22

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 23–29

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30–39

सात महत्वपूर्ण तथ्य 40

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी) 41

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 42

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. पुनः जीवीए से जीडीपी की ओर

चर्चा का कारण

हाल ही में दुनिया में जारी प्रचलन का हवाला देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अब अर्थव्यवस्था को मापने के लिए जीवीए (ग्रॉस वैल्यू एडेड) मॉडल को छोड़ दिया है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार को अब पुरानी जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के तरीके से ही मापा जाएगा। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने आर्थिक वृद्धि मापने के लिए सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) पैमाने को अपनाया था।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने जनवरी 2015 से जीवीए फॉर्मूले को अपनाते हुए आर्थिक वृद्धि के अनुमान का विश्लेषण करना शुरू किया था। जीवीए फार्मूले के तहत जहां उत्पादक या आपूर्ति पक्ष की तरफ से आर्थिक गतिविधियों की तस्वीर पेश की जाती है, वहीं जीडीपी नमूने में उपभोक्ता पक्ष या मांग के परिपेक्ष्य में आर्थिक गतिविधियों का अनुमान लगाया जाता है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर विरल आचार्य ने मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जीडीपी पद्धति की तरफ लौटने की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप काम करना है।

मूल्य वर्द्धन की अवधारणा

किसी भी निश्चित सीमा के भीतर कार्य कर रही उत्पादक इकाइयों के वस्तुओं तथा सेवाओं के सम्बन्ध में अंशदान का मूल्य ही राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद कहलाता है। मूल्यवर्द्धन किसी उत्पादक इकाई द्वारा उत्पादित उत्पाद की इकाई के बाजार मूल्य में उस उत्पादक इकाई के अंशदान को प्रदर्शित करता है।

जीडीपी क्या है?

जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे जरूरी पैमाना है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। भारत के लिए यह पैमाना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। भारत में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने यानी तिमाही आधार पर होती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये उत्पादन या सेवाएं देश के भीतर ही होनी चाहिए। भारत में कृषि, उद्योग और सर्विसेज यानी सेवा तीन प्रमुख घटक हैं जिनमें उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर होती है। ये आंकड़ा देश की आर्थिक तरक्की का संकेत देता है। आसान शब्दों में, अगर जीडीपी का आंकड़ा बढ़ा है तो आर्थिक विकास दर बढ़ी है और अगर ये पिछले तिमाही के मुकाबले कम है तो देश की माली हालत में गिरावट का रुख है।

जीडीपी का आकलन होता कैसे है?

जीडीपी को दो तरह से पेश किया जाता है। जब उत्पादन की लागत मंहगाई के साथ घटती-बढ़ती रहती है तो यह पैमाना स्थिर मूल्य कहलाता है। इसके तहत जीडीपी की दर और उत्पादन का मूल्य एक आधार वर्ष में उत्पादन की कीमत पर तय होता है। मसलन अगर आधार वर्ष 2010 है तो उसके आधार पर ही उत्पादन के मूल्य में बढ़त या गिरावट देखी जाती है। जीडीपी को जिस दूसरे तरीके से पेश किया जाता है वो चालू मूल्य है। इसके तहत उत्पादन मूल्य में महंगाई दर भी शामिल होती है।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ उत्पादन और सेवाओं के मूल्यांकन के लिए एक आधार वर्ष यानी बेस ईयर तय करता है। इस बेस ईयर में कीमतों को आधार बनाकर उत्पादन और सेवाओं की कीमत देखी जाती है और उसी हिसाब से तुलनात्मक वृद्धि या गिरावट आंकी जाती है। स्थिर मूल्य के आधार पर जीडीपी की गणना इसलिए की जाती है ताकि इस आंकड़े को महंगाई के उतार-चढ़ाव से अलग रखकर मापा जा सके।

मसलन अगर 2011 में देश में सिर्फ 100 रुपये की तीन वस्तुएँ बनीं तो कुल जीडीपी हुई 300 रुपये। और 2017 तक आते-आते इस वस्तु का उत्पादन दो रह गया लेकिन कीमत हो गई 150 रुपये तो नॉमिनल जीडीपी 300 रुपये हो गया। लेकिन असल में हुआ क्या, भारत की तरक्की हुई कि नहीं? इसकी जांच करने के लिए यही बेस ईयर का फॉर्मूला काम आता है। 2011 की स्थिर मूल्य (100 रुपये) के हिसाब से वास्तविक जीडीपी हुई 200 रुपये। अब साफ-साफ देखा जा सकता है कि जीडीपी में गिरावट आई है। सीएसओ देशभर से उत्पादन और सेवाओं के आंकड़े जुटाता है इस प्रक्रिया में कई सूचकांक शामिल होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई है।

सीएसओ विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर आंकड़े एकत्र करता है। मसलन, थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई की गणना के लिए मैन्युफैक्चरिंग, कृषि उत्पाद के आंकड़े उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जुटाता है। इसी तरह आईआईपी के आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाला विभाग जुटाता है। सीएसओ इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करता है फिर गणना कर जीडीपी के आंकड़े जारी करता है। मुख्य तौर पर आठ औद्योगिक क्षेत्रों के आंकड़े जुटाए जाते हैं- कृषि, खनन, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली, कंस्ट्रक्शन, व्यापार, रक्षा और अन्य सेवाएं।

सकल मूल्य वर्धित (GVA) क्या है?

सकल मूल्य वर्धित या ग्रॉस वैल्यू ऐडेड (GVA) अर्थशास्त्र में किसी भी क्षेत्र, उद्योग, अर्थव्यवस्था या व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादित माल व सेवाओं के मूल्य की माप है।

दूसरे शब्दों में कहें तो जीवीए का प्रयोग सकल क्षेत्रीय घरेलू उत्पाद तथा छोटी इकाईयों के उत्पादों को मापने के लिए किया जाता है। इसकी गणना जीडीपी से शुद्ध करों को घटाकर की जाती है। नेशनल एकाउंटिंग के नजरिए से देखा जाए तो छोटे स्तर पर जीडीपी में सब्सिडी और टैक्स निकालने के बाद जो आंकड़ा मिलता है, वह जीवीए होता है।

जीडीपी तथा जीवीए में अंतर

जीडीपी तथा जीवीए के बीच अंतर को हम निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देख सकते हैं-

1. जीडीपी में डिमांड या उपभोक्ता साइड की आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है जबकि जीवीए में उत्पादक यानी सप्लाई साइड से होने वाली आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है।
2. जीडीपी से हर सेक्टर के उत्पाद का अलग से आंकड़े नहीं मिलते हैं, जबकि जीवीए से हर सेक्टर के उत्पाद के अलग से आंकड़े मिलते हैं, जिससे कि नीतिनिर्माताओं को यह जानने में मदद मिलती है कि किस सेक्टर को कितनी मदद की जरूरत है।
3. जीडीपी के द्वारा प्राप्त आंकड़े का उपयोग तब जरूरी होता है जब एक देश की अर्थव्यवस्था की तुलना दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से की जाती है, जबकि जीवीए से प्राप्त आंकड़ों से दो देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना नहीं की जा सकती है।

जीवीए व्यवस्था क्यों अपनाया गया?

आरबीआई का यह तर्क था कि जीवीए से मिलने वाली क्षेत्रवार विकास से नीति निमार्ताओं को ये फैसला करने में आसानी होगी कि किस सेक्टर को इंसेटिव वाले राहत पैकेज की जरूरत है। कुछ अर्थशास्त्रीयों का मानना है कि जीवीए अर्थव्यवस्था की स्थिति जानने का सबसे सही तरीका है क्योंकि सिर्फ ज्यादा टैक्स कलेक्शन होने से यह मान लेना सही नहीं होगा कि उत्पादन में तेज बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि ऐसा तो बेहतर जुड़ाव या ज्यादा कवरेज की वजह से भी हो सकता है और इससे असल उत्पादन की गलत तस्वीर मिलती है।

सरकार का मानना है कि जब देश की तस्वीर क्षेत्रवार देखने को मिलती है अर्थात हर क्षेत्र से विकास व विकास न होने की जानकारी मिलती है तब उस क्षेत्र का विकास अधिक होता है क्योंकि वहां पर किस क्षेत्र में विकास हुआ है इसकी जानकारी प्राप्त हो पाती है। इससे सरकार का ध्यान उस क्षेत्र पर जाता है जहाँ पर अभी भी विकास नहीं हुआ है।

जीवीए मॉडल पर विवाद क्यों?

इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च के प्रोफेसर डॉक्टर आर नागराज पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत की वृद्धि दर आकलन की नई प्रणाली (जीवीए) पर सवाल उठाए थे। उनके अनुसार वृद्धि पर आकलन की नई प्रणाली सकल घरेलू उत्पाद की बजाय सकल कीमत संकलन पर आधारित है और विकास की अच्छी तस्वीर पेश करने के लिए आंकड़ों का सहारा लेती है। वे बताते हैं कि जीवीए के तहत भारत की वृद्धि के आंकड़े भरोसे लायक नहीं है तथा विकास के गलत आंकड़े दिखाकर भारत दूसरा चीन बनते जा रहा है। हालांकि इनके इस विचार को कई अर्थशास्त्रीयों द्वारा खंडन किया गया और कहा गया कि दिक्कत आंकड़ों के साथ नहीं है, दिक्कत ये है कि विश्लेषक को अधिक जटिल गणनाएं करनी पड़ेगी।

प्रो. आर नागराज ने एक उदाहरण देकर यह बताया कि जीवीए किस प्रकार सिर्फ आंकड़ों का खेल है। उनके अनुसार मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि दर 12.6% दिखाई गई है जो क्षेत्रवार भौतिक उत्पादन के अनुमान की तुलना में जान-बूझकर ऊपर की ओर दर्शाई गई महसूस होती है। उत्पादन वृद्धि भी उद्योग की साख वृद्धि की तुलना में बढ़ी-चढ़ी नजर आती है। उनके अनुसार उत्पाद वृद्धि दर में बढ़ोतरी का कारण कॉर्पोरेट मैन्यूफेक्चरिंग के लिए प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के आंकड़े इस्तेमाल करना है। यह कुल मैन्यूफेक्चरिंग आऊटपुट का 69 प्रतिशत है। जीडीपी मापने की नई प्रणाली और कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टरी के आंकड़ों के उपयोग के कारण इन दिए गये आंकड़ों में गड़बड़ी से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि यह कोई नई बात नहीं है कि सरकारें ग्रोथ रेट को बढ़ाकर दिखाने के लिए इस तरह की आंकड़ों से खेलती है। सामान्य स्थिति में तो ऐसा लगता है कि विकास दर बहुत ही तेज गति से हो रहा है लेकिन वास्तव में यह सिर्फ आंकड़ों का जोड़ है। कई बार सरकार द्वारा गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के संबंध में ऐसे आंकड़े जारी किये जाते हैं जो सच्चाई से कोशों दूर होते हैं। क्योंकि ये आंकड़ों का मकड़जाल होता है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था का विकास दर इस तरह से दिखाया जाता है कि उससे अर्थव्यवस्था में समग्र विकास हो रहा है लेकिन वास्तव में विकास सिर्फ कुछ क्षेत्रों या लोगों के हाथों तक ही सीमित रहता है।

आंकड़ों के खेल का सबसे सही उदाहरण भारत के गरीबी को लेकर देखा जा सकता है। जो कोई भी सरकार होती है वह गरीबी को अपने हिसाब से परिभाषित करती है। कोई सरकार 27% तो कोई 30 से लेकर 32% तक गरीबी रेखा के नीचे लोगों को मानती है। जबकि सच्चाई यह है कि यदि सही से सर्वे कराया जाय तो यह और भी बढ़ सकती है। सबसे ज्यादा विडंबना यह है कि व्यय शक्ति यदि 30 रुपये से लेकर 32 रुपये प्रतिदिन हो तो उसे गरीब नहीं माना जाता है। जबकि वर्तमान महंगाई को देखकर ऐसे आंकड़े सिर्फ और सिर्फ मजाक है इसके अलावा कुछ नहीं।

अर्थव्यवस्था की जीडीपी मापक क्यों महत्वपूर्ण है?

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने इस साल 15 जनवरी के बाद से ही आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए जीडीपी आंकड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उल्लेखनीय है कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि अनुमान व्यक्त करने को लेकर रिजर्व बैंक ने फिर से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आधारित पैमाने को अपना लिया है। रिजर्व बैंक ने वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही पद्धति को इसकी वजह बताया है।

चूंकि जीडीपी आधारित पैमाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करना आसान होता है। यदि वर्तमान में अमेरिका और यूरोजोन के विकसित देशों की तुलना में देखा जाय तो भारत की जीडीपी में इजाफा काफी तेजी से हो रहा है। इसलिए यदि विकास दर का विश्व के देशों से तुलना करना है तो जीडीपी को अपनाना होगा।

इसका एक फायदा यह होता है कि इसमें आंकड़ों के साथ छेड़-छाड़ कम होता है। स्थिर मूल्य के आधार पर जीडीपी की गणना इसीलिए की जाती है ताकि इस आंकड़े को महंगाई के उतार-चढ़ाव से अलग रखकर मापा जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तुलना करके किसी भी अर्थव्यवस्था के कमजोर क्षेत्र को पहचान कर विकास किया जा सकता है। चूंकि विश्व के लगभग ज्यादातर देश जीडीपी आधारित ही मापदंड को अपनाते हैं इसलिए वैश्विकरण के दौर में भारत के लिए भी जीडीपी मापदंड ही सही तरीका है।

जीवीए की अपेक्षा जीडीपी के अंतर्गत मापने का जो पैमाना है वह व्यापक है। क्योंकि जीवीए क्षेत्र आधारित होता है जबकि जीडीपी अर्थव्यवस्था के पूरे क्षेत्र को कवर करता है इसलिए यह जीवीए से ज्यादा विश्वसनीय होता है। जीडीपी के अंतर्गत मुद्रास्फीति के परिणामों और संभावनाओं को भी देखा जाता है जबकि जीवीए में ऐसा नहीं होता है।

कई अर्थशास्त्रीयों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है इसलिए इसे क्षेत्रवार या हर क्षेत्र को अलग-अलग मापना सही नहीं है क्योंकि इससे एक क्षेत्र का

विकास तो होगा लेकिन वही दूसरे क्षेत्र के पिछड़ने का डर भी बना रहता है। इसलिए जीडीपी जैसे मापक ही सही है जिससे कि सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सके।

आगे की राह

यह सही है कि जीडीपी जीवीए की अपेक्षा ज्यादा कारगर और सटीक है लेकिन इसके अंदर भी कई खामियाँ है जिसे दूर किया जाना चाहिए। सरकार कोई भी हो और किसी की भी हो उसे चाहिए कि वह आंकड़ों से न खेलकर वास्तविकता को पहचाने और विकास करें। अच्छे व बड़े आंकड़े कुछ समय के लिए संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं लेकिन दीर्घकाल के लिए यह देश और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए घातक है।

भारत में यह स्थिति अक्सर देखी जाती है कि सरकारें अपनी राजनीतिक लाभ के लिए आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं जबकि वास्तविकता में स्थिति एकदम विपरीत होती है। सरकारों को भी यह समझना चाहिए कि देशहित में किया गया कार्य ही सरकार को स्थिर बनाये रख सकता है। उल्लेखनीय है कि बार-बार अर्थव्यवस्था के मापने का पैमाना बदलना किसी भी देश के लिए सही नहीं है। इससे देश की साख को बट्टा लगता है तथा निवेशकों का भी विश्वास कम होता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जीडीपी जैसे पैमाने के अंदर विद्यमान कमियों को दूर किया जाय तथा संवृद्धि दर बढ़ाने के बजाय सतत और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाय ताकि देश और अर्थव्यवस्था दोनों का विकास हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने इस योजना के बारे में कहा कि इससे संभावनाओं के नये रास्ते खुले हैं और लोगों को नौकरियाँ भी मिल रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना के दम पर 12 करोड़ परिवारों को छह लाख करोड़ रुपये कर्ज के रूप में बांटा गया है।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को 20 हजार करोड़ रुपये के कॉपर्स फंड और 3,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी कापर्स के साथ माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) बैंक का उद्घाटन किया।

मुद्रा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिडबी बैंक की रजत जयंती के अवसर पर इस योजना की घोषणा की गई थी। मुद्रा का पूरा नाम 'माइक्रों यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी' या सूक्ष्म इकाई पुनर्वित्त एजेंसी है। यह योजना छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सभी छोटी वित्त संस्थाओं जो कुटीर उद्योगों को विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करते हैं, के विकास और पुनर्वित्त के लिए जिम्मेदार है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत एक मुद्रा बैंक की स्थापना संवैधानिक संस्था के रूप में गई है जो अपने शुरूआती चरणों में सिडबी बैंक की इकाई के रूप में कार्य करेगा।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय आरम्भ करना चाहता है उसे सरकार द्वारा किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मुद्रा योजना के तहत आवेदक को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त हो सकता है। इसमें दिए जाने वाले ऋण को तीन श्रेणियों में बांटा गया है- शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। यह मूल रूप देश के गैर कॉर्पोरेट छोटे व्यापारियों के वित्तीय पोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया उपक्रम है।

शिशु श्रेणीः यह श्रेणी व्यापर के शुरूआती दौर की श्रेणी है। वे सभी व्यापार जोकि तत्काल शुरू हुए हों और लोन के लिए देख रहे हों इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में आने वाले सभी माइक्रो यूनिट्स के लिए 50,000 रूपये तक का लोन दिया जायेगा। शिशु श्रेणी के लिए ब्याज दर 10 से 12% तक की रेंज में है।

किशोर श्रेणीः इस श्रेणी के अंतर्गत कारोबार आरंभ होने तथा उसके बढ़ने के दौरान का समय आता है। इस श्रेणी में आने वाली कंपनियों के लिए 50,000 रूपये से लेकर 5 लाख रूपये तक का ऋण देने का प्रावधान है। किशोर श्रेणी के लिए ब्याज दर 14 से 17% तक है।

तरुण श्रेणीः जो छोटे कारोबार स्थापित हो चुके हैं तथा बाजार में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, वे सभी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस श्रेणी के व्यापार को बढ़ाने के लिए यदि वित्तीय आवश्यकता है तो करोबारी को 10,00,000 रूपये तक का ऋण दिया जा सकता है। तरुण श्रेणी के लिए ब्याज दर 16% से आरंभ होती है।

मुद्रा बैंक के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है:

1. सूक्ष्म वित्त के ऋणदाता और कर्जगृहिता का नियमन और सूक्ष्म वित्त प्रणाली में नियमन और समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उसे स्थायित्व प्रदान करना।

2. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और छोटे व्यापारियों, रिटेलर्स, स्वसहायता समूहों और व्यक्तियों को उधार देने वाली एजेंसियों को वित्त एवं उधार गतिविधियों में सहयोग देना।
3. सभी एमएफआई को रजिस्टर करना और पहली बार प्रदर्शन के स्तर (परफॉर्मेंस रेटिंग) और अधिमान्यता की प्रणाली शुरू करना। इससे कर्ज लेने से पहले आकलन और उस एमएफआई तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जो उनकी जरूरतों को पूरी करते हों और जिसका पुराना रिकॉर्ड सबसे ज्यादा संतोषजनक है। इससे एमएफआई में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। इसका फायदा कर्ज लेने वालों को मिलेगा।
4. कर्ज लेने वालों को ढांचागत दिशानिर्देश उपलब्ध कराना, जिन पर अमल करते हुए व्यापार में नाकामी से बचा जा सके या समय पर उचित कदम उठाए जा सकें। डिफॉल्ट के केस में बकाया पैसे की वसूली के लिए किसी स्वीकार्य प्रक्रिया या दिशानिर्देशों का पालन करना है, उसे बनाने में मुद्रा योजना मदद करेगा।
5. मानकीकृत नियम-पत्र तैयार करना, जो भविष्य में सूक्ष्म व्यवसाय की रीढ़ बनेगा।
6. सूक्ष्य व्यवसायों को दिए जाने वाले कर्ज के लिए गारंटी देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाएगा।
7. वितरित की गई पूंजी की निगरानी, कर्ज लेने और देने की प्रक्रिया में मदद के लिए उचित तकनीक मुहैया कराएगा।
8. छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को प्रभावी ढंग से छोटे कर्ज मुहैया कराने की प्रभावी प्रणाली विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपयुक्त ढांचा तैयार करना।

- केन्द्र सरकार मुद्रा योजना पर 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिसके लिए 3,000 करोड़ धनराशि की क्रेडिट गारंटी रखी गई है।
- मुद्रा बैंक छोटे वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करेगा ताकि वे प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान कर सकें।
- मुद्रा बैंक पूरे भारत के 5.77 करोड़ सूक्ष्म व्यापार ईकाईयों की मदद करेगा।
- मुद्रा बैंक योजना का दायरा बढ़ाने के लिए डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा।
- मुद्रा बैंक के अन्तर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को ऋण देने में प्राथमिकता दी जाएगी।
- यह भारत में युवा रोजगार और कौशल को बढ़ावा देगा।

प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के महत्व और लाभ

यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि यह न छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देती है, बल्कि विकास को देश के सबसे छोटे स्तर से शुरु करती है। इस योजना के प्रमुख लाभ और महत्व निम्नलिखित है:

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए मुद्रा बैंक सूक्ष्म-वित्त संस्थानों को पुनर्वित्त प्रदान करेगा।
- कर्ज देने में एससी/एसटी उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- मुद्रा योजना से युवा, शिक्षित अथवा कुशल कामगारों का विश्वास काफी हद तक बढ़ेगा, जो अब प्रथम पीढ़ी के उद्यमी बनने के लिए प्रेरित होंगे।
- मौजूदा छोटे कारोबारी भी अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम हो सकेंगे।
- मुद्रा बैंक ठेले और खोमचे वालों को भी ऋण उपलब्धन करायेगा।
- इस योजना के तहत पापड़, अचार आदि का व्यापपार कर रही कारोबारी महिलाओं को भी इस बैंक की ओर से ऋण प्रदान किया जायेगा।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत छोटी मोटी दुकान, ब्यूटी पार्लर, मैकेनिक, दर्जी, कुम्हार तथा ऐसा ही छोटा मोटा धंधा करने वालों को भी ऋण देने का प्रावधान किया गया है।

उपलब्धियाँ

- इनमें कुल 9 करोड़ लाभार्थी महिलाएँ हैं। 110 बैंकों ने ही नहीं बल्कि 72 माइक्रों फाइनेंस कंपनियाँ और 9 नान बैंकिंग कंपनियों ने भी यह लोन शुरू किए हैं।
- मुद्रा योजना ने सामान्य व्यक्ति के हुनर को निखारने का काम किया, उस हुनर को पहचान दिलाने और लोगों को सशक्त बनाने का काम किया है।
- मुद्रा योजना के 12 करोड़ लोगों में से 55% लोन देश के SC/ST/OBC समाज के युवाओं और महिलाओं को मिला है। मुद्रा योजना एक ऐसी योजना है जिसने बिना किसी भेदभाव के पिछड़े समाज को आर्थिक एवं सामाजिक बल देने का और उन्हें सशक्त करने का काम सफलतापूर्वक किया है।
- मुद्रा योजना से ना केवल स्वरोजगार के अवसर बने, बल्कि आज यह और लोगों को रोजगार के अवसर भी दे रहा है, इस योजना की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है।
- प्रधानमंत्री ने इसकी उपलब्धियों पर कहा कि हमने न लोन मेले किये, ना बिचौलिये को जगह दी, देश के नौजवान, मातायें, बहने जो खुद कुछ कार्य करना चाहते हैं, हमने अपने छोटे उद्यमियों पर उनके बिजनेस स्किल पर भरोसा किया, मुद्रा योजना के तहत उन्हें लोन दिया गया, ताकि वो अपना कारोबार खोल सकें।
- मुद्रा योजना ने लोगों को सशक्त करने का काम किया है साथ ही गरीबों को साहूकारों से छुटकारा दिलाया है।
- आजादी के बाद से ही लाइसेंस राज की बीमारी हमने देखी है, लोन उसे मिलता था जिसकी पहचान होती थी, या नाम होता था, इस बहाने देश के मध्यम निम्न वर्ग को सिस्टम से बाहर खड़ा कर दिया गया, क्योंकि उसका न नाम था, न सिफारिश थी।
- मुद्रा योजना ने ब्याजखोर लोगों से देश के युवा लोगों को बचाया है।
- इन 12 करोड़ लाभार्थियों में से करीब 28 प्रतिशत यानि 3.25 करोड़ लोग पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग थे।

चुनौतियाँ

- पिछले तीन साल से चल रही मुद्रा योजना में बैड लोन 11300 करोड़ के पार पहुंच चुका है। 30 जून, 2017 तक मुद्रा योजना के 39.12 लाख खाते एनपीए में तब्दील हो गए हैं।
- मुद्रा योजना के तहत सभी कर्ज सरकारी बैंक देते हैं। ये बैंक पहले से ही बैड लोन की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में अपने ऊपर पड़े एनपीए के बोझ से उभरने की कोशिश में जुटे सरकारी बैंकों के लिए मुद्रा योजना का बैड लोन भी मुसीबत खड़ी कर रहा है। इसकी वजह से उनके लिए अपने एनपीए को खत्म करना एक चुनौती बन रहा है।
- मुद्रा योजना के तहत किसी व्यक्ति को एक बार कर्ज देने के बाद उसके उपक्रम के लिए रीफाइनेंनसिंग नगण्य के बराबर है, जिसके चलते मुद्रा कर्ज लेने वालों के सामने शुरुआती घाटा खाने की स्थिति में दोबारा खड़े होने के लिए रीफाइनेंसिंग की समस्या रहती है।

मुद्रा कार्ड क्या है?

मुद्रा कार्ड प्रधान मंत्री मुद्रा लोन योजना (PMMY) के अंतर्गत जारी किया जाता है। यह डेबिट कार्ड के जैसा एक कार्ड है जो मुद्रा लोन धारक को मुद्रा लोन के रुपये withdraw करने और रीपेमेंट के लिए दिया जाता है। इस कार्ड की मदद से सूक्ष्म उद्योगी कार्यशील पूंजी को जरुरत के हिसाब से नकद निकासी कर सकते है।

आगे की राह

भारत की बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहती है। इनमें से ज्यादातर के पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जीवकोपार्जन एवं रोजगार की तलाश में वे विषम कामों के करने के रास्ते तलाशते रहते हैं। पैसे के लिए या सेवाओं के बदले वस्तुएं लेकर वे अपनी आजीविका चलाते हैं। इनमें से अधिकांश लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से हैं। छोटे कारोबार, रिटेल या व्यापारिक गतिविधियाँ, महिलाएं शुरू करती है और नियंत्रित भी। जबकि उनके पास शिक्षा, औपचारिक प्रशिक्षक या किसी भी तरह का बैंकिंग सहयोग नहीं रहता। ऐसी स्थिति में यदि मुद्रा योजना का लाभ इन महिलाओं तक पहुँचे। कुछ मार्गदर्शन, सहयोग, प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग दिया जाए तो जीडीपी में तत्काल उछाल आ सकता है। इस प्रकार मुद्रा बैंक गेम चेंजर हो सकता है। नए उद्यमियों को जन्म दे सकता है। उनमें से कुछ ऊँचाइयों को छू सकते हैं जिनकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सब्सिडी देने से कहीं बेहतर है हालांकि छोटे व्यवसायों को मुद्रा बैंक से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करने और कर्ज के लिए पात्रों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित करने से ही इस योजना का लाभ पूरी तरह मिल सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे।

■

3. महिला सुरक्षा प्रभागः संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा

चर्चा का कारण

हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा पर बढ़ रही चिंताओं के बीच गृह मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक नया प्रभाग 'महिला सुरक्षा प्रभाग' बनाया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह प्रभाग संबंधित मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के समन्वय से महिला सुरक्षा के सभी आयामों से निपटेगा।

नया प्रभाग महिलाओं, एससी/एसटी बच्चों, बुजुर्गों के खिलाफ अपराध, तस्करी रोधी शाखा, जेल कानून और जेल सुधारों से संबंधित मामलों, निर्भया कोष के तहत सभी योजनाओं, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) जैसे मामलों की निगरानी करेगा।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी 'पुण्य सलिल श्रीवास्तव' संयुक्त सचिव के तौर पर इस प्रभाग का नेतृत्व करेंगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध विशेषतौर से बलात्कार के मामलों से निपटने और समयबद्ध जांच के लिए यह प्रभाग मौजूदा प्रशासनिक जांच संबंधी, अभियोजन और न्यायिक तंत्र की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान लगाएगा। साथ ही पीड़ितों के पुनर्वास और समाज के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए उचित कदम उठाएगा।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भागीदारी से एक राष्ट्रीय मिशन बनाने पर भी विचार किया जा रहा है जो समयबद्ध तरीके से कदम उठाएंगे। इनमें विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने, फोरेंसिक ढांचे को मजबूत करने, यौन आपराधियों का राष्ट्रीय पंजीकरण, अतिरिक्त सरकारी अभियोजन नियुक्त करने और पीड़ितों को उचित चिकित्सा एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराना शामिल हैं।

परिचय

आजाद भारत में महिलाएं दिन-प्रतिदिन अपनी लगन, मेहनत एवं सराहनीय कार्यों द्वारा राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई है। वर्तमान समय में महिलाएँ नए भारत के आगाज की अहम कड़ी दिख रही हैं। पुरूष प्रधान रूढ़िवादी समाज में महिलाएं निश्चित रूप से आगामी स्वर्णिम भारत की नींव को और मजबूत करने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं चाहे वो स्पोर्ट्स हो, राजनीति हो, फिल्म उद्योग हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो। लेकिन भारत में महिलाओं से संबंधित एक स्याह पक्ष भी है जैसे-

- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता अनुपात 73% हैं, जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर जहां 80.89% है वहीं महिलाओं की 64.64% है जो वैश्विक परिदृश्य के मुकाबले बहुत कम है।
- भारत में 1999-2000 में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी दर 34% थी, जो जनगणना 2011-12 में घटकर 27% रह गई है जो चिंता का विषय है।
- नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो 2016 के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा, यौन उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2.9% की वृद्धि हुई है। जिसमें 11.5 फीसदी बलात्कार की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। महिला उत्पीड़न के मामले में औसत अपराध के आंकड़े 16 फीसदी के साथ दिल्ली सबसे ऊपर है, तो वही उत्तर प्रदेश 14.5 फीसदी और बंगाल में 9.6 फीसदी महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज किये गये जो क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले भी पीछले तीन वर्षों में बढ़े हैं।

हाल ही में घटित कठुआ व उन्नाव रेप कांड ने तो देश की अंतरआत्मा को ही झकझोर दिया है।

सरकारी पहल

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाएँ हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं। कुछ सरकारी पहल निम्न हैं-

- भारतीय संविधान के अनुसार पुरूषों की तरह महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार है। भारत को महिलाओं के विरूद्ध अपराध को रोकने के लिए समय-समय पर कानून बनाए गए हैं, जैसे- एक समान पारिश्रमिक एक्ट 1976, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम-1961, अनैतिक व्यापार

(रोकथाम) अधिनियम-1956, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम-1987, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम-2006, लिंग परीक्षण तकनीक (नियंत्रण और गलत इस्तेमाल रोकथाम) अधिनियम-1994, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण अधिनियम-2013 आदि।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 का मसौदा जारी किया गया। इस नीति की प्राथमिकताओं में प्रमुख है- महिलाओं में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सहित स्वास्थ्य समस्याओं को हल करना और महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना। आर्थिक उपाय के अंतर्गत महिलाओं के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए व्यवस्था बनाना, शासन एवं निर्णय करने में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकना आदि।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के प्रमुख डा. ईश कुमार के अनुसार एनसीआरबी, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की राष्ट्रीय रजिस्ट्री तैयार करने की प्रक्रिया में है। इस तथ्य के लिए क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है और डेटाबेस तैयार करने के लिए एक एजेंसी को भी काम पर लगाया जा रहा है।
- हाल ही में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने मानव तस्करी (Human Trafficking) की रोकथाम और इसके पीड़ितों हेतु सुरक्षा एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018 को लोकसभा में मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अत्यंत कमजोर व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को प्रभावित करने वाले घृणित और अदृश्य अपराधों से निपटने का समाधान प्रदान करता है।
- भारत सरकार ने 1999 में बुजुर्गों से संबंधित राष्ट्रीय नीति बनायी, जिसमें सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया जिसमें प्रमुख निम्न हैं- वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पौष्टिकता, आश्रय, जानकारी संबंधी आवश्यकताओं, उचित रियायतों में सहायता प्रदान करना आदि।
- इसके अलावा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के गुजारे और कल्याण से संबंधित कानून-2007 बनाया है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों से आवश्यकतानुसार गुजारा भत्ता दिलाने की व्यवस्था है। साथ ही जान-माल की सुरक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और हर जिले में वृद्ध सदनों की स्थापना जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं।
- गत वर्ष असम विधान सभा ने बुजुर्गों के हित में एक नया बिल पारित किया है इसे 'असम एम्प्लॉयीज पैरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नार्म्स फॉर अकाउंटैबिलिटी एंड मॉनिटरिंग बिल-2017' कहा जाता है। इसके अनुसार अगर कोई नौकरीपेशा व्यक्ति अपने पैरेंट्स की देखभाल सही तरीके से नहीं करता है तो हर महीने एक तय रकम उसकी सैलरी से काटकर बुजुर्ग माँ-बाप को दे दी जाएगी।
- देश को हिला देने वाले 2012 के निर्भया गैंगरेप कांड के बाद केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से निर्भया को समर्पित एक कोष (फंड) निर्भया फंड की स्थापना की थी।
- वर्ष 2017-18 के बजट में केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निर्भया फंड में 90 फीसदी का इजाफा किया है। इसके अलावा बजट 2017-18 में महिला शक्ति केंद्रों के स्थापना का उद्देश्य रखा गया है।
- आपराधिक रिकार्ड्स का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने, सभी पुलिस स्टेशनों को एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आपास में जोड़ने जांच, नीति निर्धारण, डेटाविश्लेषण, अनुसंधान और नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सीसीटीएनएस की शुरूआत की गई थी। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को हार्डवेयर, सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर, कनेक्टीविटी, एकीकृत प्रणाली, परियोजना प्रबंधन एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ 1989 में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट पास किया। इसके बाद सरकार ने इस अधिनियम में बदलाव करते हुए 26 जनवरी, 2016 को एसटी/एससी (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 को लागू किया गया।

क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अध्यादेश 2018

21 अप्रैल, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा 'क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अध्यादेश' 2018 को मंजूरी प्रदान की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए विभाग द्वारा इन सभी उपायों के कार्यान्वयन पर नजर रखी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- आपराधिक कानून में संशोधन संबंधी इस अध्यादेश के माध्यम से भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य कानून, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और पॉक्सो एक्ट में नए प्रावधान लाए जाएंगे, ताकि ऐसे मामलों में दोष सिद्ध होने पर मौत की सजा सुनाई जा सके।
- इस अध्यादेश के मुताबिक, 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।
- दुष्कर्म के मामलों में सात वर्ष के सश्रम कारावास की न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है। इसे बढ़ाकर आजीवन कारावास में तब्दील किया जा सकता है।
- 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामलों में न्यूनतम सजा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है। इसे बढ़ाकर आजीवन कारावास तक किया जा सकता है।
- 16 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म के आरोपित या सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों को अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। इतना ही नही, इनकी जमानत पर निर्णय देने से पूर्व न्यायालय को 15 दिन पहले लोक अभियोजक या पीड़िता के प्रतिनिधि को नोटिस भेजना होगा।
- इसके अतिरिक्त, अध्यादेश के अंतर्गत दुष्कर्म के मामले में जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करने के संबंध में भी व्यवस्था की गई है। ऐसे मामलों में दो महीने के अंदर ट्रायल को पूरा करना होगा।
- एक तरफ जहाँ दुष्कर्म की फारेंसिक जाँच के लिये सभी पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों को विशेष किट उपलब्ध कराई जाएगी, वहीं दूसरी ओर नए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्थापित किये जाएंगे। इन मामलों में समयबद्ध जाँच के लिये विशेष कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाएगी।
- साथ ही पीड़िता की सहायता के लिये चलाए जा रहे वन स्टॉप सेंटरों को देश के सभी जिलों में स्थापित किया जाएगा।

महिला सुरक्षा प्रभाग की आवश्यकता क्यों?

अब यह सवाल उठना लाज़मी है कि सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, मानव तस्करी (विशेषकर महिला व बच्चों की), वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित कानून, निर्भया कोष तथा एसटी/एससी के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की रोक-थाम से संबंधित बहुत सारे कानूनी प्रावधान को बनाया तथा उनको अमलीजामा पहनाया गया। तो ऐसे में अलग से महिला सुरक्षा प्रभाग की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता है क्योंकि सरकार ने इस दिशा में सराहनीय कदम उठाये हैं लेकिन अपेक्षित परिणाम पाने में विफल रही है। महिला सुरक्षा प्रभाग की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हाल के दिनों में महिलाओं, बच्चों, एसटी/एससी के खिलाफ अत्याचारों में वृद्धि देखी गयी है।

आंकड़ों पर एक नजर

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार 2016 में देश में 3 लाख 38 हजार 954 महिलाओं से संबंधित हिंसा के मामले दर्ज हुए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है।
- एनसीआरबी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ वर्ष 2016 में देशभर में 3,38,954 मामले दर्ज किए गए, जो 2015 (3,29243) के मुकाबले 2.9 प्रतिशत ज्यादा है। महिलाओं पर यौन हमले 2016 में 84746 मामले दर्ज किये गए जिसमें महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश अव्वल हैं।
- वर्ष 2016 में कुल 64519 अपहरण के मामले दर्ज हुए जिसमें यूपी (12994), महाराष्ट्र (6170) और बिहार (5496) शीर्ष पर हैं।
- वर्ष 2016 में देश में बलात्कार के कुल 38947 मामले प्रकाश में आये जिसमें मध्य प्रदेश (4882), उत्तर प्रदेश (4816) और महाराष्ट्र (4189) क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं।
- गृह मंत्रालय की 'भारत में अपराध' नामक रिपोर्ट के अनुसार देश में 2014-2016 के बीच वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों में खासा वृद्धि हुई है। कुल अपराधों में 40% महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुए हैं।

खराब हालात			
	वर्ष		
राज्य	2014	2015	2016
महाराष्ट्र	3981	4561	4694
मध्य प्रदेश	3438	3456	3877
दिल्ली	2021	1248	685

- वहीं अगर महिला कैदियों की बात करें तो स्थिति और भी भयावह है। देश की जेलों में बंद महिलाओं में से 60 फीसदी की गिरफ्तारी अनावश्यक रूप से की गई है। इसकी वजह से कई जेलों में क्षमता से 300 फीसदी तक ज्यादा भीड़ है। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार तकनीकी रूप से कानून तोड़ने और जुर्माना न अदा कर पाने की वजह से जेल में बंद महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। भारत में लगभग 1401 जेलें हैं, जिनमें सिर्फ 18 महिलाओं के लिए है। महिला जेलों की क्षमता मात्र 4748 है, जो कुल राष्ट्रीय क्षमता का 13% है। फिलहाल भारत में लगभग 18000 के करीब महिला कैदी हैं।
- सरकार ने देशभर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वर्ष 2013 में निर्भया फंड का ऐलान किया था। लेकिन निर्भया फंड खर्च करने में सरकारें और संस्थाएँ फिसड्डी साबित हुई हैं। निर्भया कांड के बाद 3000 करोड़ रुपये का एक निर्भया फंड बनाया गया लेकिन विडंबना ये है कि इस फंड में से केवल 400 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्भया फंड को लेकर सभी राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। साथ ही सुझाव भी दिया कि निर्भया फंड के उपयोग के लिए एक अलग मैकेनिज्म की आवश्यकता है।
- देश में दलितों की स्थिति की बात करें तो आंकड़े और चौकाने वाले हैं। सरकार की अपनी रिपोर्ट के अनुसार दलितों के खिलाफ अत्याचार में वृद्धि हुई है।
- देश में प्रत्येक 15 मिनट में दलितों के खिलाफ अपराध होता है।
- हर सप्ताह औसतन 11 दलित देश में मारे जाते हैं।
- देश में 6 दलित महिलाओं पर हर दिन यौन अत्याचार होता है। पिछले 10 सालों में यह संख्या दोगुनी हुई है।
- विगत 10 सालों में (2007-17) दलितों के खिलाफ अपराधों में 66 फीसदी बढ़ोतरी हुई है।
- भारत में साल 2016 के दौरान लगभग 20 हजार महिलाएं और बच्चे मानव तस्करी का शिकार हुए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार 2016 में तस्करी के 19,223 मामले दर्ज किए गए जो वर्ष 2015 में 15,448 थे। यह मानव तस्करी में 25 फीसदी की वृद्धि को दर्शाता है।

एनसीआरबी के नए आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 सालों में मानव तस्करी में 14 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। लड़कियां और महिलाएं ट्रैफिकिंग के निशाने पर रहती हैं। जो पिछले 10 सालों में देशभर के मानव तस्करी मामलों का 76% है।

महिला सुरक्षा प्रभाग से लाभ

- महिला सुरक्षा प्रभाग के अस्तित्व में आने से महिला सुरक्षा से संबंधित मामलों में व्यापक बदलाव आयेगा।
- इस प्रभाग महिलाओं के खिलाफ अपराध विशेषतौर से बलात्कार के मामलों से निपटने में मदद मिलेगी साथ ही समयबद्ध जांच के लिए मौजूदा प्रशासनिक, जांच संबंधी, अभियोजन एवं न्यायिक तंत्र की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- महिला सुरक्षा प्रभाग पीड़ितों के पुनर्वास में मदद करेगा साथ ही समाज के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए उचित कदम उठाने की दिशा में भी कार्य करेगा।
- इतना ही नहीं मंत्रालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा साथ ही इससे इनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकेगी। महिलाओं से संबंधित मामलों से समयबद्ध तरीके से निपटने में तथा कार्यवाही करने में मदद मिलेगी।
- महिला सुरक्षा प्रभाग के माध्यम से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किये जा सकेंगे।
- अतिरिक्त सरकारी अभियोजक नियुक्त किया जा सकेगा।
- फोरेंसिक ढाँचे मजबूत होंगे।
- यौन अपराधियों का राष्ट्रीय पंजीकरण डेटा तैयार करने में सहायता मिलेगी क्योंकि महिला प्रभाग सीसीटीएनएस और एनसीआरबी के आंकड़ों की निगरानी करेगा।
- पीड़ितों को उचित चिकित्सा और पुनर्वास (निर्भया फंड का उचित क्रियान्वयन न होना, जेल से रिहा की गई महिला को उचित

पुनर्वास न होना) सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

आगे की राह

- भारत में महिलाओं से संबंधित अनेक कानून बनाये गये हैं जिनका क्रियान्वयन प्रभावशाली तरीके से नहीं हो पाया है। इसी फेहरिस्त में महिला सुरक्षा प्रभाग भी सरकार द्वारा लाया गया है। कहीं ऐसा न हो कि ये कानून भी प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पायें, ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका कार्यान्वयन सही ढंग से हो।
- कानून बनने चाहिए सही है लेकिन कानून ही केवल इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसके लिए महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदलनी होगी। हम आज 21वीं सीद के दूसरे दशक में हैं लेकिन हमारी सोच आज भी मध्यकालीन है।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना होगा इसके लिए उनकी शिक्षा-दिक्षा की समुचित व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा अर्थात उनको शिक्षित करना होगा।
- नारियों की सुरक्षा के लिए भ्रष्टतंत्र को सुधारने के साथ ही प्रत्येक नागरिक को समाज की जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार होना होगा।
- समाज में गिरते नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए प्रत्येक आदमी को आगे आने की जरूरत है।
- महिलाओं की जेलों में बढ़ती संख्या को कम करने के लिए अतिरिक्त जेलों की स्थापना के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया को तीव्र करने की आवश्यकता है। जिससे अनावश्यक मुकदमों में फंसी महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

4. भारत-इंडोनेशिया के संबंधों में नया आयाम

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी हेतु प्रतिबद्धता जाहिर की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में सागर मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में विकास के लिए वह प्रतिबद्ध हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर (SAGAR) विजन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोजे की मैरीटाइम फलक्रम (आधार) नीति से मेल खाती है। प्रधानमंत्री के अनुसार 'सागर' से तात्पर्य "सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर आल इन रिजन" है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधन के बाद मर्डेका पैलेस में दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न हुई जिसमें 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। दोनों देशों ने इंडोनेशिया के बाली और भारत के उत्तराखण्ड राज्यों को 'सहोदर राज्य' बनाने की घोषणा की। इस अवसर पर भारत इंडोनेशिया समुद्री सहयोग पर अलग साझा दृष्टिपत्र भी जारी किया।

पृष्ठभूमि

भारत और इंडोनेशिया दो सहस्त्राब्दियों से घनिष्ठ सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक संबंध रहे हैं। भारत के समुद्री तटों से विभिन्न धर्मों के लोग इंडोनेशिया पहुँचे। इंडोनेशिया की अनेक लोक-कला तथा नाटक, रामायण और महाभारत जैसे महाकव्यों की गाथाओं पर आधारित हैं। भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू तथा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो की अगुवाई में इन दोनों देशों ने एशिया एवं अफ्रीका के अनेक देशों द्वारा आजादी के लिए किए जा रहे आंदोलनों में भी सहयोग किया।

इस दौरान भारत और इंडोनेशिया एक-दूसरे के करीबी रहे। 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति सुकर्णो को ही मुख्य अतिथि बनाया गया था। दोनों देशों द्वारा 1955 में बांडुंग सम्मेलन में निर्गुट आंदोलन की नींव रखी गयी। हालांकि 1970 के दशक में दोनों देशों के संबंधों में कुछ दुराव आया जो 1990 के दशक के अंत तक इंडोनेशिया में लोकतंत्र की पुर्नस्थापना तक जारी रहा। इसी समय भारत में लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरूआत हुई इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में व्यापक सुधार हुआ है। दोनों देश जी-20, नैम (NAM), ईएएस, आइओआए, एआइआइबी जैसे कई महत्वपूर्ण संगठनों के सदस्य हैं।

वर्ष 2005 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री एस बी युधेयोनो के सरकारी दौरे के दौरान रणनीतिक भागीदारी स्थापित करने संबंधी संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गये। जनवरी 2011 में राष्ट्रपति युधोयोनो ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय दौरा संपन्न किया। अक्टूबर, 2013 में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इंडोनेशिया का दौरा संपन्न किया। दिसंबर 2016 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। मार्च 2017 में जकार्ता में संपन्न भारत महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने हिस्सा लिया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई, 2018 में इंडोनेशिया की यात्रा संपन्न की।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों की आवश्यकता

हिंद-प्रशांत महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप में चीन के बढ़ते प्रभाव, मलेशिया में चीन की मजबूत होती पैठ, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अस्थिर आर्थिक व विदेश नीति आदि अनेक कारणों से भारत-इंडोनेशिया संबंधों की आवश्यकता बढ़ जाती है।

आशियान क्षेत्र में इंडोनेशिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है वहीं भारत जीडीपी के आधार पर पांचवा बड़ा तथा क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरा बड़ा देश है। दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार 2017 में 18.13 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। साथ ही दोनों देशों के नेताओं ने वर्ष 2025 तक इसे 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में दोनों देशों के आर्थिक संबंध मजबूत करने की आवश्यकता है।

दोनों देशों के बीच काफी घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहा है। इंडोनेशिया में स्थापित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संस्कृति केंद्र (जेएनआईसीसी) विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन करता है। इस केंद्र में भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य (कथक एवं भरतनाट्यम) तथा योगा की नियमित कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इंडोनेशिया की युवा पीढ़ी से जुड़ने के लिए भारतीय दूतावास के फेसबुक पेज और ट्विटर एकाउंट का सृजन किया गया है, जो विश्व में सोशल मीडिया के सबसे बड़े प्रयोक्ताओं में से एक है। बहासा भाषा में "स्टडिंग इन इंडिया" शीर्षक से एक विशेष प्रकाशन भी किया

गया है ताकि भारत में उच्च शिक्षा में अध्ययन करने के लिए इच्छुक इंडोनेशिया के छात्रों को सुविधा प्राप्त हो सके। दोनों देशों के मध्य संपन्न संस्कृतिक समझौते से भारतीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के नागरिकों के लिए 30 दिनों के नि:शुल्क वीजा की घोषणा की है। जिससे दोनों देशों के संस्कृति जुड़ाव में वृद्धि होगी।

इंडोनेशिया में भारतीय मूल के लगभग 1000000 इंडोनेशियाई नागरिक हैं, जो मुख्यतः ग्रेटर जकार्ता, मेडान, सौरबाया तथा बांडुंग में रहते हैं। वर्तमान में इंडोनेशिया में लगभग 10,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं जो इंजीनियर, परामर्शदाता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर और अन्य प्रकार के पेशेवर हैं। साथ ही बड़ी संख्या में इंडोनेशियाई छात्र भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ऐसे में दोनों देशों के लोगों के हितों की रक्षा के लिए इन देशों में आपसी संबंध मजबूत होना आवश्यक है।

भारत-इंडोनेशिया के संबंध सामरिक एवं राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। दरअसल हिंद-प्रशांत सागर के रास्ते विश्व का 50 फीसदी से ज्यादा व्यापार होता है। विश्व के सभी प्रमुख देश इस क्षेत्र से वैश्विक व्यापार करते हैं। अगर भारत का इंडोनेशिया के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत होता है तो चीन से कूटनीतिक लड़ाई में भारत को लाभ मिलेगा। हाल ही में इंडोनेशिया और भारत के मध्य सबांग द्वीप समझौता भारत की आर्थिक व सैन्य क्षेत्र पहुँच को मजबूती प्रदान करेगा।

सबांग द्वीप सुमात्रा के उत्तरी छोर पर है और मलक्का स्ट्रेट के भी करीब है। जिसकी व्यापारिक महत्ता काफी ज्यादा है। साथ ही वैश्विक ऊर्जा और सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि चीन के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी से आसियान देश चिंतित हैं। इसलिए भारत इस क्षेत्र में आसियान देशों को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता है। साथ ही यूएनओ में भारत की दावेदारी के लिए आसियान देशों का समर्थन प्राप्त हो सकेगा।

वर्तमान परिदृश्य

वर्तमान समय में अपने रणनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि करते हुए भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा सहयोग सहित 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

- रक्षा सहयोग समझौते में नियमित द्विपक्षीय वार्ता व साझा हित के सैन्य मुद्दों व सामरिक रक्षा पर सलाह, सामरिक जानकारी का आदान-प्रदान, सैन्य शिक्षण, प्रशिक्षण व अभ्यास, सेना, नौसेना, वायुसेना व अंतरिक्ष सहित सशस्त्र सेनाओं के बीच सहयोग की घोषणा की गई।
- दोनों नेताओं ने अपने साझा दस्तावेज में, समुद्री सुरक्षा, शांति, स्थिरता व सतत आर्थिक विकास के लिए सुरक्षा की जरूरत पर जोर दिया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष 2025 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे।
- दोनों पक्षों ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में व्यापार, पर्यटन समेत अन्य गतिविधियों के लिए सपर्क बढ़ाने पर जोर देंगे।
- दोनों पक्षों ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए वाह्य अंतरिक्ष के इस्तेमाल व खोज में सहयोग के लिए एक कार्ययोजना समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।
- इस समझौते के अनुसार, दोनों पक्ष अंतरिक्ष-विज्ञान, बाह्य अंतरिक्ष की खोज, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के पर्यावरण की निगरानी और रिमोट सेंसिंग, आपसी लाभ के लिए इंडोनेशिया के एकीकृत बायैक ग्राउंड स्टेशन का उपयोग, इंडोनेशिया में भारतीय ग्राउंड स्टेशन की स्थापना के लिए मिलकर काम करेंगे।
- इसके साथ ही लापान (इंडोनेशिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस) निर्मित उपग्रहों की लांच सेवाओं के लिए सहयोग व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में संयुक्त शोध व विकास गतिविधियां शामिल हैं।
- दोनों पक्षों ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग, रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, स्वास्थ्य सहयोग और आर्थिक, व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने सहित 12 ज्ञापन समझौतों (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए।
- दोनों पक्षों ने 2019-20 में कूटनीतिक संबंधों के 70 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की गतिविधियों की एक अलग योजना पर हस्ताक्षर किए।
- भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान करते हुए एक नई समग्र रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने पर सहमति जताई और सीमा-पार से आतंकवाद समेत आंतकवाद के सभी रूपों की निंदा की।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला, पारदर्शी और नियम आधारित बनाने का उद्देश्य रखा गया, जहां संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो।

चुनौतियाँ

- यद्यपि दोनों देशों के बीच आपसी समझ के कई ज्ञापन, समझौते और नेक इरादे मौजूद हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन अभी भी अधूरा है।
- आने वाले वर्षों में भारत के वैश्विक पुनरूत्थान में समुद्री क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसलिए भारत के आंतरिक विकास के साथ ही विदेश नीति में समुद्री अनिवार्यता एक आवश्यक समस्या के रूप में उभरी है।
- दोनों देशों में गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों में वृद्धि और रोज अभरती नई सुरक्षा चुनौतियाँ जैसे- आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, वित्तीय और आर्थिक धोखाधड़ी, साइबर क्राइम आदि हैं।
- दक्षिणी चीन सागर में चीन ने जिस तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित है, वह न सिर्फ एशिया के देशों के लिए खुली चुनौती है बल्कि वैश्विक चुनौती का रूपधारण कर लिया है।

आगे की राह

1. संरक्षणवाद की चुनौती झेल रही दुनिया में भारत और इंडोनेशिया अपनी परस्पर आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक एजेंडे को सिरे चढ़ाने में मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। 2011 में भारत और इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदार बने जिसमें सहयोग के लिए तमाम बिंदुओं को शामिल तो किया गया, लेकिन उन्हें पूरी तरह अमलीजामा नहीं पहनाया गया। ऐसे में उन पहलुओं से निजात पाने की दरकार है जो संबंधों में अपेक्षित तेजी की राह में अवरोध बने हुए हैं। रणनीतिक साझेदारी को सिरे चढ़ाने के लिए कुछ अहम पहलुओं पर विचार करना होगा। अरसे से लंबित कुछ द्विपक्षीय वार्ताओं ने पिछले साल ही तेजी पकड़ी है। उन्हें लेकर प्राथमिकता सूची तैयार करने के साथ ही हमें तुरंत फैसले लागू करने चाहिए।
2. सामुद्रिक सुरक्षा, सतत विकास जैसे तमाम क्षेत्रीय एवं वैश्विक महत्व के मुद्दों पर गहन चर्चा हमें करीब लाएगी। चीन और 'बीआरआइ' (Belt & Road Initiative) को

लेकर इंडोनेशिया का नजरिया हमसे कुछ अलग है और दक्षिण चीन सागर को लेकर भी वह मुखर नहीं है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की चार देशों को लेकर बन रही संभावित चौकड़ी को लेकर वह कुछ सशंकित हो सकता है, लेकिन वह सामुद्रिक सुरक्षा को संतुलन देने में भारत के महत्व को भी बखूबी समझता है। इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन में वह भारत का पूरा समर्थन और इस्लामिक देशों के संगठन में भारत विरोधी अभियान का विरोध करता है। यह वक्त का तकाजा है कि हम साझा महत्व के मुद्दों को केंद्र में रखकर सार्थक चर्चा के माध्यम से भरोसे के उच्च स्तर को कायम करें।

3. भारतीय नौसेना एवं तटरक्षक दल और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भी सहयोग बढ़ा है। हम इंडोनेशिया को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के साथ ही वहां उनके संयुक्त उत्पादन के लिए शोध एवं विकास की संभावनाएं तलाश सकते हैं। भारत सुमात्रा के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह में भी निवेश कर सकता है। यह नौसेना के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। इसे आसियान इन्फ्रॉस्ट्रक्चर योजना के तहत मूर्त रूप दिया जा सकता है। एशिया अफ्रीका गलियारे के माध्यम से इसे जापानी और अन्य स्रोतों से वित्तीय मदद मिल सकती है।

4. भारत के लिए व्यापार के मोर्चे पर कटौती संभव नहीं होगी, क्योंकि वह इंडोनेशिया से बड़ी तादाद में कोयला और पाम ऑयल आयात करता है। इससे व्यापार में पलड़ा इंडोनेशिया की ओर झुका रहता है। यह झुकाव और बढ़ेगा, क्योंकि तकरीबन पांच लाख भारतीय सैलानी इंडोनेशिया जाते हैं। भारत में इंडोनेशियाई निवेश से इसकी भरपाई की जा सकती है। तेजी से बढ़ते इंडोनेशियाई बाजार के लिए बुनियादी ढांचे, बिजली, खनन और स्वास्थ्य जैसी अन्य सेवाओं के लिए भारतीय उद्यमियों के साथ जुगलबंदी इस मामले में फायदेमंद होगी।

5. भारतीय कारोबारियों की सहूलियत के लिए इंडोनेशिया को त्वरित रूप से फैसले लेने वाली व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि उन्हें वहां अपने व्यावसायिक हित सुरक्षित नजर आएं। अधिकांश भारतीय कंपनियों को लगता है कि इंडोनेशिया में चीनी कंपनियों को तरजीह दी जाती है। ऐसे में इंडोनेशिया को भारत के साथ मेलजोल बढ़ाना होगा। यदि हवाई अड्डे, बंदरगाह, अस्पताल, बिजली संयंत्र और खनन जैसे पांच बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में काम तेजी से जोर पकड़ता है तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।

6. बेहतर होगा कि इंडोनेशिया मेक इन इंडिया के तहत कम से कम पांच निवेश प्रस्तावों पर कदम आगे बढ़ाए। पाम ऑयल, खाद्य प्रसंस्करण, सड़क और राजमार्गों जैसे क्षेत्रों में इसे बढ़ाया जा सकता है। मांस के अतिरिक्त दवा, चावल, चीनी और बुनियादी ढांचा उपकरणों के लिए भी इंडोनेशिया को भारत के लिए दरवाजे खोलने चाहिए। इंडोनेशिया के लिए पाम ऑयल और कोयला बेहद महत्वपूर्ण हैं और भारत उसे लंबी अवधि के अनुबंध का आश्वासन दे सकता है। इससे बाजार में बेहतर हालात बनेंगे, कीमतों को लेकर भी स्थिरता रहेगी। इसके लिए दोनों देश तार्किक शुल्क ढांचा बना सकते हैं।

7. मानव संसाधन और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी कुछ किए जाने की गुंजाइश है। दोनों देश मुख्य रूप से युवा आबादी वाले हैं जहां उन्हें बेहतर शिक्षा और अवसरों की आवश्यकता है। अधिकांश इंडोनेशियाई छात्र भारत में मजहबी तालीम के लिए आते हैं, जबकि भारत से इक्का-दुक्का छात्र ही वहां जाते हैं। ऐसे में विश्वविद्यालयों को साझा योजनाओं, संकायों और छात्रों के आपसी विनिमय की जरूरत है। सांस्कृतिक, मानविकी, प्रबंधन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सभी में इसे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साझा सांस्कृतिक विरासत को भी समय के साथ सहेजना होगा।

8. इसके तहत साझा पुरातात्विक परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। नियमित रूप से आयोजित रामायण महोत्सव से कला एवं नृत्य के क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही नहदलाला उलमा और मुहम्मदिया जैसे मुख्यधारा के मुस्लिम संगठनों के साथ भी सक्रियता से काम करने की जरूरत है, क्योंकि वे चरमपंथ के खिलाफ सबसे कारगर जरिया साबित हो सकते हैं। एक बहुलतावादी लोकतंत्र के रूप में हमें इंडोनेशिया के समक्ष भारत की तरक्की की तस्वीर दिखाकर युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास की राह से जोड़ना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

5. पवन ऊर्जाः अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के दर्पण में

चर्चा का कारण

ग्लोबल विंड समिट का पहला संस्करण 25 से 28 सितंबर, 2018 तक जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित किया जाएगा। यह दुनिया भर में पवन ऊर्जा उद्योग की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, अमेरिका, स्पेन और डेनमार्क सहित लगभग 100 देशों के वक्ताओं की भागीदारी होगी।

पहले वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन की विशेषताएं

- पहला पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन-2018 व्यापार, नेटवर्किंग तथा सूचना के लिहाज से पवन ऊर्जा इंडस्ट्री के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।
- शिखर सम्मेलन में दो सम्मेलन 'विंडएनर्जी हैम्बर्ग' और 'विंडयुरोप' शामिल हैं।
- विंड यूरोप, विंड एनर्जी की सहायता से हैम्बर्ग में वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा।
- यह विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा कार्यक्रम होगा जिसका उद्देश्य नेटवर्क, व्यापार एवं

दुनियाभर में लोगों के बीच पवन ऊर्जा का प्रसार करना होगा।

- विंड यूरोप के 250 विशेषज्ञों द्वारा 50 से अधिक सेमिनारों में भाग लिया जायेगा तथा 2018 के पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन को सफल बनाया जायेगा।
- इस शिखर सम्मेलन से विश्व भर से आये विशेषज्ञों को इको-फ्रेंडली तकनीक के लिए एक प्लेटफार्म प्राप्त होगा।
- इस आयोजन के दौरान होने वाली बैठकों के माध्यम से नये बाजारों की खोज, उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार करना आदि शामिल है।

वैश्विक पवन ऊर्जा सम्मेलन के तीन मुख्य विषय

पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन के लिए निम्नलिखित तीन विषयों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

- डायनामिक बाजार,
- कम लागत, और
- स्मार्ट ऊर्जा

शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका

इस सम्मेलन में भारत की ओर से विभिन्न कंपनियां भाग ले रही हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन करने के हिसाब से भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। भारत में चीन के बाद 33 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादित की जाती है। भारत से पहले चीन, अमेरिका एवं जर्मनी का स्थान आता है। भारतीय सरकर ने वर्ष 2022 तक 60 जीडब्ल्यू का लक्ष्य निर्धारित किया है। ग्लोबल वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल, स्टीव सॉयर के अनुसार, 'भारत पवन ऊर्जा उत्पादन सौर ऊर्जा का बढ़ता हुआ तथा बड़ा बाजार है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र की बहुत सी कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं।'

पृष्ठभूमि

बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों की स्थापना की जाती है। इन चक्कियों द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र (Dynamo) की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका पहली बार प्रयोग स्कॉटलैण्ड में 1887 में किया गया था।

वैसे तो पवन चक्की कई तरह की होती है, लेकिन जो सबसे अधिक प्रचलित है उनमें एक विशाल खंभे के ऊपरी भाग पर एक सिलेंडर लगा होता है, जिसके मुंह पर 20 से 30 फुट लम्बे और 3 से 4 फुट चौड़े पंखे लगे रहते हैं। जब हवा चलती है तो ये पंखे घूमने लगते हैं। इससे पैदा हुई ऊर्जा को जेनरेटर द्वारा बिजली में परिवर्तित किया जाता है।

पवन ऊर्जा के लिए वैश्विक पहल

हमारे वायुमंडल में इतनी पवन ऊर्जा है कि वर्तमान बिजली खपत से पांच गुना अधिक बिजली पैदा किया जा सकता है। वर्ष 2008 में दुनिया की कुल बिजली खपत का 1.5 प्रतिशत हिस्सा पवन ऊर्जा से पैदा किया गया। इस दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है और बड़े स्तर पर विंड फार्म बनाये जा रहे हैं। समुद्र के किनारे ज्यादा तेज हवा बहती है, इसलिए पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ज्यादातर पवन चक्कियाँ इन्हीं इलाकों में लगायी गयी है।

'द गार्जियन' के मुताबिक किसी भी अन्य देश के मुकाबले ब्रिटेन अपने समुद्री तटों पर पवन ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा पवन चक्कियों को स्थापित कर रहा है। 'डॉन्ग एनर्जी' का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक यूके में कुल ऊर्जा उत्पादन का करीब एक-तिहाई हिस्सा विंड एनर्जी से हासिल किया जाएगा। वर्ष 2015 में डेनमार्क ने अपनी खपत का करीब 42 फीसदी बिजली का उत्पादन विंड टरबाइनों से किया। डेनमार्क सरकार वर्ष 2020 तक इसे 50 फीसदी तक ले जाना चाहती है। उसकी योजना है कि अगले कुछ वर्षों में अपने देश में जीवाश्म ईंधन आधारित सभी ऊर्जा केंद्रों को पूरी तरह से बंद कर देगा। इसी प्रकार चीन पवन ऊर्जा पैदा करने की अपनी मौजूदा क्षमता को बढ़ाकर 2020 तक 200 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है। आज दुनिया भर में 83 से अधिक देश विद्युत उत्पादन के लिए तेजी से पवन ऊर्जा का विस्तार कर रहे हैं।

भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति

- भारत में पवन ऊर्जा उद्योग की स्थापना 1980 के दशक के अंत में हुई थी। स्थापना के कई वर्षों तक यह केवल तमिलनाडु राज्य में कार्यरत रही। परंतु, पिछले एक दशक से यह देश के तकरीबन आठ अन्य राज्यों में भी प्रसारित हो गई है।
- वर्तमान में पवन ऊर्जा क्षेत्र के कुल आठ राज्यों में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के साथ-साथ राजस्थान जैसे पश्चिमी राज्य भी शामिल हैं।
- इस क्षेत्र में बढ़ती आशावादिता की मुख्य वजह यह है कि केंद्र सरकार पवन ऊर्जा उत्पादकों से विद्युत की खरीद करके इसे अन्य विद्युत आपूर्तिकर्ता कंपनियों को बेचना चाहती है, ताकि देश के ऐसे गरीब क्षेत्रों तक भी विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके जिन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये महँगे संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- वस्तुतः देश के प्रत्येक कोने को प्रकाशमयी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार इस दिशा में एक वास्तविक व्यापारी की भूमिका का निर्वाह कर रही है।
- गौरतलब है कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 32,280 मेगावाट की क्षमता के साथ भारत का चीन, अमेरिका तथा जर्मनी के बाद विश्व में चौथा स्थान है।
- इतना ही नहीं वरन् वर्ष 2022 तक भारत की पवन ऊर्जा क्षमता को वर्तमान के स्तर से बढ़ाकर 60 गीगावाट तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- ध्यातव्य है कि भारत की संपूर्ण ऊर्जा क्षमता में 3.2 लाख मेगावाट ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा का योगदान तकरीबन 10 फीसदी का है।

भारत में पवन ऊर्जा उपकरण निर्माण का मजबूत आधार है। भारत में बनाई जाने वाली पवन टर्बाइन विश्व गुणवत्ता मानको के अनुरूप है और यूरोप, अमेरिका तथा अन्या देशों से आयातीत टर्बाइनों में सबसे कम लागत की है। वर्ष 2016-17 के दौरान पवन ऊर्जा में 5.5 गीगावाट की क्षमता जोड़ी गई जो देश में अब तक एक वर्ष में जोड़ी गई क्षमता में सबसे अधिक है। पवन ऊर्जा क्षमता की स्थापना में भारत विश्वर में चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर है।

आवश्यकता क्यों?

सम्पूर्ण विश्व में ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा करने के लिए ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों के विकास के साथ-साथ गैर परंपरागत संसाधनों के विकास एवं उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

जीवाश्म ईंधन धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका में भी, जो अक्षय ऊर्जा पर अधिक ध्यान देने के लिए नहीं जाना जाता है, वहाँ भी इस बारे में जागरूकता बढ़ रही है। 'ब्रायन मर्चेंट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में पांच वर्ष पूर्व संचालित होने वाले कोल प्लांट में से 40 प्रतिशत बंद हो चुके हैं। स्वीडन जैसे देश भी

जीवाश्म ईंधनों पर से अपनी निर्भरता को लगातार कम कर रहे हैं। इस गति के बावजूद, अभी इस क्षेत्र में लंबी दूरी तय करनी है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता बढ़ानी होगी। कुल ऊर्जा जरूरतों में से एक-चौथाई ऊर्जा के लिए भले ही हम अक्षय स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन 75 प्रतिशत बिजली के लिए अभी भी हम जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर हैं, जिससे सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।

वैज्ञानिकों का दावा है कि यदि नीतियों के स्तर पर दुनियाभर में बड़ा बदलाव किया जाये तो हम ऐसी तकनीक और सामर्थ्य रखते हैं जिसके बल पर 2050 तक पूर्ण रूप से हम ऊर्जा जरूरतों के लिए अक्षय ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भर हो सकते हैं। पवन ऊर्जा का स्वच्छ, प्रदूषण रहित अक्षय स्रोत तो है ही साथ ही यह सुगमता से उपलब्ध है, जबकि जीवाश्म ईंधन सीमित है। पवन निःशुल्क तथा प्रचुरता से उपलब्ध है, इसकी आपूर्ति भी निर्बाध है। पवन अथवा वायु पर किसी भी देश या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का एकाधिकार नहीं है, जैसा कि जीवाश्म ईंधनों यथा तेल, गैस या नाभिकीय ईंधनों जैसे यूरेनियम आदि के साथ है। चूंकि ऊर्जा की मांग सतत रूप से बढ़ती ही जाएगी, इसलिए कच्चे तेल के बढ़ते हुए मूल्यों के साथ निश्चित रूप से पवन ऊर्जा ही एकमात्र आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करती है।

लाभ

वायु का ऊर्जा उत्पादन करने हेतु उपयोग करने में न तो किसी भी प्रकार के प्रदूषण की समस्या है न ही अम्लीय वर्षा की समस्या अथवा खानों के अपवाह या विषाक्त प्रदूषक पदार्थों जैसी कोई समस्या है। सूर्य की वितरित ऊर्जा से पवन ऊर्जा सतत रूप से नवीकृत होती रहती है और इसका दोहन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। पवन चलित संयंत्र सरल व परिचालन में आसान होते हैं। अतः अन्य विकल्पों को तुलना में इनके रखरखाव की आवश्यकता कम होती है। पवन चक्की शृंखलाओं में अनेक अपेक्षाकृत छोटी-छोटी इकाइयाँ होती हैं। इन्हें सरलता व शीघ्रता से समूहों में बनाया जा सकता है। परिणामस्वरूप इनकी योजना बनाने में लचीलापन आ जाता है। पवन ऊर्जा संयंत्रों का इस्तेमाल बिजली, पानी पंपिंग और कई अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है। यह जीवाश्म ईंधन, अक्षय, स्वच्छ ग्रीन हाउस उत्सर्जन का एक विकल्प है और व्यापक रूप से वितरित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में सौर और वायु ऊर्जा के क्षेत्र में भविष्य में तीन लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसकी वजह 2022 तक देश में 175 गीगावाट बिजली पैदा करने का उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी का कहना है कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर करीब 24 मिलियन नई पोस्ट अस्तित्व में आएंगी।

चुनौतियाँ

पवन ऊर्जा, ऊर्जा का स्वच्छ प्रदूषण रहित अक्षय स्रोत है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ समस्याएँ भी हैं जैसे इसकी कुछ तकनीकी अभी भी महंगी है, यह हवा के बहने पर निर्भर है, इसलिए हमेशा उपलब्ध नहीं होता। इसके लिए खुले मैदानों समुद्री किनारों या ऊँचे स्थानों की आवश्यकता होती है, जहाँ हवा का बहाव अधिक हो। पवन विद्युत संयंत्रों से विद्युत चुंबकीय व्यवधान की समस्या भी वातावरण में उत्पन्न होती है। क्षैतिज अक्ष वाले पवन चालित टर्बाइनों के घुमते हुए फलक (ब्लेड) दूरदर्शन संकेतों के दृश्य अंक विरूपित करके निकटवर्ती क्षेत्रों में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। राजस्थान में ट्रांसमिशन लाइनों और कताई ब्लेड ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यु दर में वृद्धि की है। अक्सर स्थानीयकृत विरोध या नागरिक कार्रवाई याचिकाएं दाखिल होती रहती है।

आगे की राह

पृथ्वी पर गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत प्रकृति की अनुपम देन हैं। विश्व के अनेक देशों में इस प्राकृतिक ऊर्जा के संसाधनों का भरपूर दोहन करके ऊर्जा आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। भारत में 'पवन ऊर्जा' दूरस्थ क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों तथा समुद्री तटों वाले क्षेत्रों में निवासियों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती है। देश में पवन ऊर्जा कार्यक्रम 'वाटर पम्पिंग', बैटरी चार्जिंग एवं पावर जेनरेटिंग के लिये काफी महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए देश के तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर पवन संसाधन का उपयोग करते हुए ऊर्जा संरक्षण, विपणन एवं संग्रहण का कार्य करके न केवल ग्रामीण विकास में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, बल्कि इसे आय का साधन भी बना सकते हैं।

यद्यपि कि उन चुनौतियों का तकनीकी के आधार पर समाधान किया जाना जरूरी है जिससे पक्षियों के अलावा पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। इसके लिए हमें नवीन प्रौद्योगिकी के विकास पर शोध करना होगा, ताकि पवन ऊर्जा का समुचित एवं हानिरहित उपयोग किया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

बुनियादी ढांचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

6. साइबर बुलिंग का बढ़ता खतरा

चर्चा का कारण

हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने पहली बार बच्चों को साइबर सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इन दिशा-निर्देशों को तीन हिस्सों में जारी किया गया है। पहले हिस्से में स्कूलों के लिए, दूसरों में विद्यार्थियों और तीसरे हिस्से में शिक्षकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। जिससे कि वर्तमान में साइबर बुलिंग की बढ़ती घटना से बच्चों को बचाया जा सके। हाल के समय में कई ऐसी घटनायें सुनने को मिली जिससे कि स्कूली छात्र इंटरनेट के जरिये स्कूली क्षत्राओं से लेकर स्कूल की मैडम तक को अश्लील और भद्दा मैसेज भेजे गये। जो कि एक बहस का मुद्दा बन गया है।

क्या है साइबर बुलिंग

बुलिंग का मतलब होता है तंग करना। जब ये बुलिंग हद से आगे बढ़ जाती है तो पीड़ित की मानसिक शांति भंग हो जाती है। कई बार बुलिंग भावनात्मक रूप से बेहद परेशान कर देती है। जब ये बुलिंग इंटरनेट या डिजिटल तरीके से की जाये तो इसे ही साइबर बुलिंग कहते हैं।

दूसरे शब्दों में साइबर बुलिंग को ऑनलाइन रैगिंग कहा जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से गलत फोटो, गलत भाषा या फेक न्यूज आदि का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति को डराना, धमकाना, उसे टार्चर करना या उसे गलत दिशा में भटकाना आदि साइबर बुलिंग के तहत आता है।

वर्तमान परिदृश्य

डिजिटल युग में बच्चों पर साइबर बुलिंग का नया खतरा मंडरा रहा है। कई रिसर्च में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आये हैं। एशियन जनरल ऑफ साइकायट्री की रिसर्च में दिल्ली के लगभग 20 फीसदी स्कूली बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार पाए गये। इसी तरह एंटी वायरस कंपनी नॉटर्न ने भारत में एक बड़ी रिसर्च की और पाया कि 45 फीसदी लोगों ने किसी न किसी रूप में साइबर बुलिंग का सामना किये हैं। यूनिसेफ ने इस खतरे को भांपते हुए 'चाइल्ड ऑनलाईन प्रोटेक्शन इन इंडिया' के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर सक्रिय कुल बच्चों में से लगभग 52 फीसदी बच्चों ने यह माना कि वो खुद साइबर बुलिंग करने में शामिल है। यदि ट्विटर की बात की जाय तो 23.8% बच्चे इसके शिकार हैं। जबकि 75% अभिभावक बच्चों के साइबर बुलिंग से अनभिज्ञ थे। रिपोर्ट के अनुसार आज 10 में से 6 छात्र किसी न किसी रूप में साइबर बुलिंग के शिकार हैं, लेकिन स्कूलों और अभिभावकों को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है।

हाल ही में ब्रिटेन के स्वांसी विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और बर्किंघम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 150,000 बच्चों और युवाओं पर इसकी पड़ताल की है। यह पड़ताल 'जनरल ऑफ मेडिकल इंटरनेट रिसर्च' में प्रकाशित हुई। इसमें सोशल मीडिया पर लोगों को तंग करने वालों और इसके शिकार दोनों पर अहम प्रभाव को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर बुलिंग बच्चों के भविष्य को तेज गति से नष्ट कर रहा है अत: इस पर जितना जल्द हो सके रोक लगनी चाहिए।

कानून में प्रावधान

भारत में सूचना तकनीकी कानून के अनुसार यदि कोई अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए कोई आपत्तिजनक संदेश या सामग्री भेजता या प्रकाशित करता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को मानसिक आघात पहुंचता है तो यह एक दंडनीय अपराध है। यह अपराध इन्फॉरमेशन टेक्नालॉजी एक्ट, 2000 के सेक्सन 72 के अंतर्गत आता है। इस एक्ट के मुताबिक यदि कोई किसी की निजी जानकारी को सार्वजनिक करता है या फिर कोई किसी के गोपनीय मेल, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किताब या अन्य निजी जानकारी को अनैतिक व गैर कानूनी रूप से उसकी सहमति के बिना दूसरों के साथ साझा करता है तो उसे 2 साल की सजा या एक लाख रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

उल्लेखनीय है कि भारत में साइबर अपराधों की चर्चा तो होती है लेकिन साइबर बुलिंग से बच्चों को बचाने की चर्चा कम ही होती है। भारत में साइबर क्राइम के मामलों में सूचना तकनीकी कानून 2000 और सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2008 लागू होते हैं। इस श्रेणी के कई मामलों में आईपीसी, कॉपीराइट कानून 1975, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून और जहाँ तक कि आतंकवाद निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। यदि आईटी कानून की धारा 509 की बात करें तो इसके अनुसार यदि कोई शब्द या गतिविधि या संकेत यदि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है तो इसके तहत उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। यह कानून बुलिंग के लिये इस्तेमाल होने वाले शब्दों पर भी लागू होता है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना अपराध है। इसके अतिरिक्त साइबर स्टॉकिंग एक्ट 354 डी के तहत भी इस तरह के कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। अपराधी यदि पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा व जुर्माना और दोबारा यही अपराध करने पर उसे पांच साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।

एनसीईआरटी द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देश

उल्लेखनीय है कि स्कूलों को निर्देश दिये गये हैं कि वह साइबर सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करें कि उनके स्कूल के सभी कंप्यूटरों में लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और स्कूल का वाई-फाई पासवर्ड से भलीभांति सुरक्षित किया गया है। इसके लिए स्कूलों को किसी थर्ड पार्टी की सेवा लेने का भी सुझाव दिया गया है। विद्यार्थियों से कहा गया है कि बुलिंग के खिलाफ अविलंब शिक्षकों या अभिभावकों के पास जाकर इसकी शिकायत करें या किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर इसकी शिकायत करें जिस पर वे विश्वास करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें दूसरे बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से चिढ़ाने, गलत तरीके से पासवर्ड हासिल कर दूसरे के मेल पढ़ने आदि से मना किया गया है।

शिक्षकों को निर्देश दिये गये हैं कि वह नियमित तौर पर बच्चों द्वारा प्रयोग किये जा रहे डिवाइस की ब्राउजिंग हिस्ट्री की जाँच करते रहें और उन पर नजर रखें। स्कूल की कंप्यूटर प्रयोगशालाओं तक केवल अधिकृत लोगों की पहुँच हों, USB का उपयोग प्रतिबंधित किया जाए, पॉप-अप को ब्लॉक करने और डेस्कटॉप पर किसी नए और अनजान आइकन की मौजूदगी पर निगाह रखने जैसे कई दिशा-निर्देश NCERT द्वारा जारी साइबर सुरक्षा और सुरक्षा दिशा-निर्देशों में शामिल हैं।

साइबर बुलिंग से हानि

साइबर बुलिंग से होने वाले नुकसान को हम निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देख सकते हैं:

1. इंटरनेट पर साइबर बुलिंग का अनुभव बेहद खतरनाक है और इससे बच्चों की मन:स्थिति को चोट पहुंचती है। सड़क या किसी अन्य स्थान पर इसे नजर अंदाज कर बहस कर या आमना-सामना कर बदतमीजी करने वाले को पकड़ने का प्रयास किया जा सकता है या पुलिस की सहायता ली जा सकती है। लेकिन इंटरनेट पर अक्सर परेशान करने वाले व्यक्ति की पहचान करना मुश्किल होता है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो ऐसे खुले मंच हैं जहाँ किसी भी तरह की लगाम लगाना मुश्किल होता है।
2. साइबर बुलिंग पर किये गये शोध में सामने आया कि जो बच्चे और किशोर साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं उनके दिमाग में स्वयं को नुकसान पहुंचाने और आत्महत्या करने का विचार आने का खतरा दो गुना होता है।
3. साइबर बुलिंग के कारण महिलाओं का शोषण बढ़ गया है। उन्हें अपने मोबाइल पर कई गलत संदेशों का सामना करना पड़ रहा है।
4. साइबर बुलिंग के कारण बच्चे अपना बचपन खो रहे हैं तथा इंटरनेट के जरिये वह सभी गलत कार्य कर रहे हैं जिनकी उनको मनाही है।
5. साइबर बुलिंग के चलते बच्चे इंटरनेट पर कई जानलेवा खेल खेल रहे हैं जिसमें ब्लूव्हेल जैसे खेल प्रसिद्ध हैं।
6. साइबर बुलिंग के कारण सामाजिक संबंधों में विखराव आ रहा है क्योंकि, गलत मैसेज या चैटिंग करने वाले लोग जान-पहचान के भी होते हैं।
7. स्कूलों में साइबर बुलिंग की समस्या से शिक्षक और छात्र के बीच संबंध खराब हो रहे हैं जिसका प्रभाव शिक्षण कार्यों पर पड़ रहा है।
8. आजकल बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल मनोरंजन के अलावा अपनी पढ़ाई के लिए भी करते हैं। ऐसे में कई बार इंटरनेट पर सर्चिंग टूल

में बच्चों को ऐसे लिंग या ग्रुप में लोग मिल जाते हैं, जिसमें उन्हें धमकाया, डराया या तंग किया जाता है।

साइबर बुलिंग/साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकारी प्रयास

1. गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के संबंध में परामर्श जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों को साइबर अपराध के पंजीकरण, अन्वेषण एवं अभियोजन के लिए नई तकनीकी जैसे साइबर पुलिस स्टेशन, बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित लोगों की टीम को तैयार करने की सलाह दी गई है।
2. कानून को लागू करने वाली एजेन्सियों, फोरेंसिक लैब और न्यायपालिका को उन्नत और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे इंडियन कंप्यूटर इमरजेन्सी रिस्पांस टीम एवं सी डैक द्वारा इकट्ठा किये गये सबूतों का सही ढंग से विश्लेषण कर सकें।
3. सरकार द्वारा साइबर बुलिंग जैसे अपराधों से निपटने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के अंतर्गत केंद्रीय फोरेन्सिक लैब की स्थापना की गई है।
4. इंडियन कंप्यूटर इमरजेन्सी रिस्वास टीम वेबसाइटों को सुरक्षित रखने के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित करती है जो www. ecnt.in.org.in पर उपलब्ध है।
5. भारत सरकार ने "क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम" के माध्यम से ऑनलाइन साइबर शिकायतों के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीकृत नागरिक पोर्टल उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
6. गृह मंत्रालय ने देश में साइबर अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए और पीड़ितों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए खुला मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र" की स्थापना की है।

साइबर बुलिंग से बचने के उपाय

1. साइबर बुलिंग से बच्चों को बचाने के लिए अभिभावक को बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय देना होगा जिससे कि उनके गतिविधियों पर ध्यान रखा जा सके।
2. बच्चों को इस बात के लिए जागरूक करना होगा कि वे इंटरनेट का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकें। इसके अलावा अनजान व्यक्ति से बात करने, मैसेज भेजने, चैटिंग करने से रोकना होगा।
3. स्कूलों में साइबर बुलिंग को लेकर शिक्षक व छात्र में स्वच्छ व नियमित संवाद हो जिससे कि बच्चे इस विषय पर खुलकर जानकारी हासिल कर सकें।
4. यदि कोई बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार हो गया हो तो उसके अभिभावक तथा शिक्षक को नियमित परामर्श करना चाहिए जिससे कि वह कोई गलत कदम न उठा सके।
5. बच्चों के लिए इंटरनेट की पहुंच सीमित करना होगा ताकि वह आवश्यकतानुसार ही इसका इस्तेमाल कर सके।
6. बच्चों को दिए गये इंटरनेट सुविधा की नियमित जांच अभिभावकों द्वारा की जानी चाहिए और आवश्यकता हो तो पैरेन्ट्स लॉक की सहायता ली जानी चाहिए।
7. अभिभावकों को बच्चों की ब्राउजिंग हिस्ट्री पर भी नजर रखनी चाहिए।

निष्कर्ष

साइबर बुलिंग से निपटने के लिए सरकार के साथ-साथ समाज को भी आगे आना होगा जिससे कि बच्चों व महिलाओं को इस तरह की घटनाओं से बचाया जा सके। क्योंकि वर्तमान में इंटरनेट बच्चों के शैक्षिक कार्यों के लिए आवश्यक हो गया है और इसके इस्तेमाल से बच्चों को दूर नहीं रखा जा सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों पर पर्याप्त निगरानी रखा जाय और उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत किया जाय। उनकी रूची और आदतों पर ध्यान दिया जाय जिससे कि वे काई गलत कार्य न कर सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।

■

7. पर्यावरण संरक्षण में विश्व पर्यावरण दिवस की प्रासंगिकता

चर्चा का कारण

हाल ही में विश्व भर में 5 जून 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। प्रत्येक विश्व पर्यावरण दिवस पर पृथक आयोजक देश का चयन होता है जहां आधिकारिक समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की वैश्विक मेजबानी भारत को प्राप्त हुई है।

विदित हो कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है जिसके अनुरूप ही सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम- 'बीट प्लास्टिक पोल्यूशन' यानी प्लास्टिक से होने वाले कचरे को समाप्त करना है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरुक करना तथा पर्यावरण के लिए कार्य करना है।

विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास

पूरे विश्व में आम लोगों को जागरुक बनाने के लिये, साथ ही कुछ सकारात्मक पर्यावरणीय कार्यवाही को लागू करने के द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझाने के लिये, मानव जीवन में स्वास्थ्य और हरित पर्यावरण के महत्व के बारे में वैश्विक जागरुकता को फैलाने के लिये वर्ष 1973 से प्रत्येक 5 जून को एक वार्षिक कार्यक्रम के रुप में विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की शुरुआत की गयी।

1972 में संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून को मानव पर्यावरण पर शुरु हुए सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र आम सभा और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनइपी) के द्वारा कुछ प्रभावकारी अभियानों को चलाने के लिये पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना हुई थी। इसे पहली बार 1973 में कुछ खास विषय-वस्तु के साथ मनाया गया था। 1974 से, दुनिया के अलग-अलग शहरों में विश्व पर्यावरण उत्सव की मेजबानी की जा रही है।

कुछ प्रभावकारी कदमों को लागू करने के लिये राजनीतिक और स्वास्थ्य संगठनों का ध्यान खींचने के लिये साथ ही साथ पूरी दुनिया भर के अलग देशों से करोड़ों लोगों को शामिल करने के लिये संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा इस बड़े वार्षिक उत्सव की शुरुआत की गयी है। इसमें प्रत्येक साल 143 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं और इसमें कई सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा, समस्या आदि विषय पर बात करते हैं।

इस दिन पूरी दुनिया में सबसे अधिक वृक्षारोपण होता है। आज के समय में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, विकरणीय प्रदूषण, औद्योगिकी प्रदूषण, समुद्रीय प्रदूषण, प्रदूषित नदियाँ, जलवायु बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी हालत में हमें इतिहास की आपदाओं से सीख लेनी चाहिए।

विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है

बड़े पर्यावरण मुद्दें जैसे भोजन की बरबादी और नुकसान, वनों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना इत्यादि को बताने के लिये विश्व पर्यावरण दिवस को वार्षिक उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की गयी थी। पूरे विश्वभर में इस अभियान को प्रभाव में लाने के लिये वर्ष के खास थीम और नारे के अनुसार हर वर्ष के उत्सव की योजना बनायी जाती है।

पर्यावरण संरक्षण के दूसरे तरीकों सहित बाढ़ और अपरदन से बचने के लिये सौर जल तापक व सौर स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन, नये जल निकासी तंत्र का विकास करना, प्रवाल-भित्ति को बढ़ावा देना, मैनग्रोव का जीर्णोद्धार करना सफलतापूर्वक कार्बन उदासीनता को प्राप्त करना, वन प्रबंधन पर ध्यान देना, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव घटाना, बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिये हाइड्रो शक्ति के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, निम्निकृत भूमि पर पेड़ लगाने के द्वारा बायो-ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना आदि इसका मुख्य उद्देश्य होता है।

प्रकृति को उसके वास्तविक स्वरूप में बनाये रखने के लिये उत्सव के दौरान सभी आयु वर्ग के लोग सक्रियता से शामिल होते हैं। बहुत सारी गतिविधियों के द्वारा जैसे स्वच्छता अभियान, कला प्रदर्शनी, पेड़ लगाने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करना, नृत्य क्रियाकलाप, कूड़े का पुनर्चक्रण, फिल्म महोत्सव, सामुदायिक कार्यक्रम, निबंध लेखन, पोस्टर प्रतियोगिया, सोशल मीडिया अभियान और भी बहुत सारे उत्सव में खासतौर से आज के दौर के युवा बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। अपने पर्यावरण की सुरक्षा की ओर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणि ाक संस्थानों में भी बहुत सारे जागरुकता अभियान चलाए जा रहें हैं। ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझाने के लिये क्या कदम उठाने चाहिये उन्हें जानने के साथ ही पर्यावरण के गिरते स्तर के वास्तविक कारण के बारे में आम जनता को जागरुक करने के लिये सार्वजनिक जगहों में विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने के द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्सव मनाया जाता है।

वर्तमान परिदृश्य

संयुक्त राष्ट्र ने अपने एक पत्र में लिखा कि जिस तेजी से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे यह तो पक्का है कि 2050 में खाने-पीने, रहने आदि की बड़ी व्यापक समस्या होगी। इसलिये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रकृति के संसाधनों का अगर हम दोहन कर रहे हैं, तो उनकी रक्षा और संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। 2050 में जब जनसंख्या लगभग 9.6 बिलियन होगी, तब समस्या और विकराल होगी। दूसरी सबसे बड़ी चिंता है ग्लोबल वॉर्मिंग की। इसकी वजह से हमारे पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है। ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर पाये तो दुनिया भर के हजारों द्वीप डूब जायेंगे। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से ही अब हर साल गर्मी के मौसम में जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। वहीं बारिश पिछले कई सालों से औसत से कम हो रही है। ग्लोबल वॉर्मिंग के एक नहीं हजारों कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण बेतरतीब शहरीकरण और औद्योगिकीकरण है। सभी देशों द्वारा पार्यवरण को बचाने की जंग तो जारी है, लेकिन जंग तेज नहीं है। इस युद्ध को तेज करने के लिये पूरी दुनिया को नेपाल से सीख लेनी चाहिये और सभी देशों को विश्व पिर्यावरण दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना चाहिये। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्यावरण प्रेमी बनाने के लिये जागरूक करना चाहिये।

पूरे विश्व में हर साल करीब 55 लाख लोग दूषित हवा की वजह से मर जाते हैं, जो कुल मौतों का लगभग 10% है। लेकिन चौंकाने वाली खबर बैंकॉक से आई, यहां एक व्हेल की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसने समुद्र में प्लास्टिक के 80 बैग गटक लिए थे। यह बात अटॉप्सी रिपोर्ट में सामने आई है।

उल्लेखनीय है कि थाइलैंड प्लास्टिक बैग का दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, और हर साल वहां बड़ी संख्या में समुद्री जीव मारे जाते हैं। पर्यावरण पर लापरवाही का मामला यहीं नहीं खत्म होता है। भले ही आज भारत 2018 का पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा हो लेकिन पूरा देश वायू प्रदूषण और पीने के पानी की कमी से जूझ रहा है। और यह कहने में जरा भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि भले ही हम अच्छे मेजबान हों और अतिथि की उपमा देव से करते हों लेकिन पर्यावरण देव की चिंता हमें नहीं है। अकेले भारत में हर साल 12 लाख लोग जहरीली हवा के कारण मर जाते हैं, जिससे देश को 38अरब डॉलर का नुकसान होता है। शायद यह जानकार आश्चर्य हो कि भारत के 11 शहर दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार समुद्र को प्रदूषित करने वाले शीर्ष पांच प्रदूषकों में चार दूषित तत्व पैकेजिंग उद्योग से निकलने वाले प्लास्टिक उत्पाद है। भारत में 24940 टन प्लास्टिक कचरा प्रतिदिन निकलता है। इसमें 60% कचरे का ही निस्तारण हो पाता है, शेष 40 प्रतिशत कचरों का निस्तारण पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। पैकेजिंग उद्योग सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा उत्पादित करते हैं इनमें बोतल, खाने के पैकेट, प्लास्टिक बैग आदि शामिल हैं।

सरकारी प्रयास

भारत प्राचीन समय से ही पर्यावरण को लेकर सजग रहा है और आधुनिक समय में भी अपने कार्यो से पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करता है। यदि स्वतंत्र भारत की बात करें तो भारतीय संविधान जिसे 1950 में लागू किया गया था यह सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण से नहीं जुड़ा था। सन् 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन ने भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खिंचा। सरकार ने 1976 में संशोधन कर दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 48 ए तथा 51 ए (जी) जोड़ें। अनुच्छेद 48 (ए) राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करें तथा देश के वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा करें। अनुच्छेद 51 ए (जी) नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करे और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहे।

उल्लेखनीय है कि इसके अलावा भारत सरकार ने समय-समय पर कइ ऐसे नियम बनाये हैं जिससे कि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। जैसे- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा 1977, वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980,

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जैव-विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, राष्ट्रीय जलनीति 2002, राष्ट्रीय पर्यावरणी नीति 2004, वन अधिकार अधिनियम 2006 आदि। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए ही भारत सरकार ने विषुवतीय देशों से मिलकर सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने तथा उपयोग करने के लिए इन देशों से समझौता किया है।

पर्यावरण प्रदूषण के कारण

पर्यावरण प्रदूषण को हम निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देख सकते हैं-

1. **जल प्रदूषण:** जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति, जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसान दायक हो जाए तो इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। इसके कई कारण है जैसे- मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन, सफाई या सीवर का उचित प्रबंधन न होना, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों, नहरों में विसर्जन, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना आदि।
2. **वायु प्रदूषण:** जब कभी वायु में कार्बन डाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइडो की वृद्धि हो जाती है तो ऐसी वायु को प्रदूषित वायु कहा जाता है। इनके अनेक कारण है जैसे वाहनों से निकलने वाला धुआँ, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआ तथा रसायन, आण्विक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूल-कण, जंगलों में पेड़ पौधे के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआँ आदि।
3. **ध्वनि प्रदूषण:** वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि की मौजूदगी को ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। इसके कारणों में रेल इंजन, हवाई जहाज, जनरेटर, टेलीफोन, टेलीविजन, वाहन, लाउडस्पीकर, आधुनिक मशीनों से होने वाली तेज आवाज आदि शामिल हैं।
4. **भूमि प्रदूषण:** भूमि के भौतिक रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, 'भूमि प्रदूषण' कहलाता है। इसके कारणों में कृषि में उर्वरकों, रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग औद्योगिक इकाईयों, खानों तथा खादानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन, प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग जो जमीन में दबकर नहीं गलती, घरों, होटलों और औद्योगिक इकाईयों द्वारा निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निपटान आदि शामिल हैं।
5. सामाजिक प्रदूषण के कारणों में जनसंख्या विस्फोट, सामाजिक प्रदूषण (जैसे- सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन, अपराध झगड़ा फसाद, चोरी आदि), सांस्कृतिक प्रदूषण तथा आर्थिक प्रदूषण आदि।

पर्यावरण प्रदूषण के रोकने के उपाय

जल प्रदूषण को निम्नलिखित के तहत रोका जा सकता है जैसे- वाहित मल को नदियों में छोड़ने के पूर्व कृत्रिम तालाबों में रासायनिक विधि द्वार उपचारित करना चाहिए। अपमार्जकों का कम से कम उपयोग होना चाहिए, कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थो को नदी, झील एवं तालाबों में नहीं डालना चाहिए, बिजली या तापगृहों से निकलने वाले पानी को स्प्रे पाण्ड या अन्य स्थानों से ठंडा करके पुनः उपयोग में लाना चाहिए।

वायु प्रदूषण को रोकने के लिए धुम्रपान पर नियंत्रण होना चाहिए, कारखानों के चिमनियों की ऊंचाई अधिक रखना चाहिए, उद्योगों की स्थापना शहरों एवं गांवों से दूर करना चाहिए, अधिक धुआं देने वाले स्वचालितों पर प्रतिबंध होना चाहिए, सरकार द्वारा प्रतिबंधात्मक कानून बनाकर उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करनी चाहिए।

ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को यह बताना होगा कि वे कम शोर करने वाले मशीनों का उपयोग करें, उद्योगों एवं कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना होगा, वाहन में लगे हार्नो को तेज बजाने से रोकना होगा एवं उपलब्ध मशीनों का रखरखाव सही तरीके से करना होगा जिससे कि ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके।

रेडियोधर्मी प्रदूषण को रोकने के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादक यंत्रों की देखभाल सही तरीके से करना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि परमाणु परीक्षण कम से कम हो। वृक्षारोपण करके रेडियोधर्मिता के प्रभाव से बचा जा सकता है। सरकारी संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाया जाय जिससे कि इससे होने वाले नुकसान को रोका जा सके या कम किया जा सके। उल्लेखनीय है कि भारतीय नौसेना विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने हरित पहल कार्यक्रमों के चार वर्ष पूरा कर रही है। भारतीय नौसेना ने पर्यावरण हितैषी और ऊर्जा दक्ष प्रणाली की दिशा में कई नीतियां बनाकर लागू की है। इसके परिणामस्वरूप सभी नौसैनिक अड्डों पर बेहतर परिणाम हासिल हुये हैं। नौसेना नेन 16000 की संख्या में वृक्षारोपण किया है, जिससे अनुमानित तौर पर 324 टन कार्बन डाई ऑक्साइड कम होगी।

निष्कर्ष

मानव अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को जिस तेज गति से नुकसान पहुंचा रहा है उसका परिणाम भी उसी गति से भुगतना पड़ रहा है। सुनामी, भूकंप, आंधी, तूफान, सूखा, बाढ़ आदि के रूप में कई प्राकृतिक आपदा देखने को मिल रही है। यही नहीं इन सब की बारंबरता भी बढ़ गई है। विश्व के सभी देश पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनमें भी विकसित देश सबसे आगे हैं। हालांकि मॉट्रियल प्रोटोकाल, क्योटोप्रोटोकाल, पृथ्वी सम्मेलन आदि के द्वारा विश्व स्तर पर इसका समाधान ढूंढा जा रहा है लेकिन फिर भी अपेक्षानुसार परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जिस मनादेश से इसके लिए कार्य करना चाहिए वह नहीं हो रहा है। विश्व के सभी देश उपरी और आधे अधूरे तैयारी के तहत पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के सभी देश पूरे विश्व को एक परिवार मानकर पर्यावरण बचाने के लिए कार्य करें जिससे कि मानव अस्तित्व को बचाया जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है इसलिए यह उम्मीद किया जा सकता है कि भारत पर्यावरण पर अपनी स्वच्छ और प्रगतिशील सोच को पूरे विश्व को समझाने में सफल होगा। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि पर्यावरण दिवस पर विश्व के सभी देश हो-हल्ला मचाते हैं तथा सक्रिय दिखते हैं लेकिन उस दिन के बाद फिर से पर्यावरण को लेकर लापरवाही का आलम शुरू हो जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जब हम पर्यावरण बचाने का संकल्प ले तो उसे पूरे मनोदशा से पूरा करें जिससे कि न सिर्फ वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ी भी स्वच्छ वातावरण का आनंद ले सकें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

पुनः जीवीए से जीडीपी की ओर

प्र. हाल ही में दुनिया में जारी प्रचलन का हवाला देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को मापने के लिए जीवीए मॉडल को छोड़ पुनः जीडीपी मॉडल को अपना लिया है। जीडीपी व जीवीए मॉडल का परिचय देते हुए यह बतायें कि भारतीय रिजर्व बैंक का यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस हद तक सही है?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- मूल्य वर्द्धन की अवधारणा
- जीडीपी क्या है?
- सकल मूल्य वर्धित क्या है?
- जीडीपी तथा जीवीए में अंतर
- जीवीए व्यवस्था क्यों अपनाया गया?
- जीवीए मॉडल पर विवाद क्यों?
- अर्थव्यवस्था की जीडीपी मापक क्यों महत्वपूर्ण है?
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में दुनिया में जारी प्रचलन का हवाला देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अब अर्थव्यवस्थाओं को मापने के लिए जीवीए मॉडल को छोड़ दिया है।
- केंद्रीय बैंक ने 2015 में आर्थिक वृद्धि मापने के लिए सकल मूल्य वर्धित पैमाने को अपनाया था।

मूल्य वर्द्धन की अवधारणा

- किसी भी निश्चित सीमा के भीतर कार्य कर रही उत्पादक इकाइयों के वस्तुओं तथा सेवाओं के संबंध में अंशदान का मूल्य ही राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद कहलाता है।

जीडीपी क्या है?

- जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे जरूरी पैमाना है। जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है।

सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) क्या है?

- सकल मूल्य वर्धित (जीवीए), अर्थशास्त्र में किसी भी क्षेत्र उद्योग, अर्थव्यवस्था या व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादित माल व सेवाओं के मूल्य की माप है।
- जीवीए का प्रयोग सकल क्षेत्रीय घरेलू उत्पाद तथा छोटी इकाईयों के उत्पादों को मापने के लिए किया जाता है।

जीडीपी तथा जीवीए में अंतर

- जीडीपी में डिमांड या उपभोक्ता साइड की आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है। जबकि जीवीए में उत्पादक यानी सप्लाई साइड से लेने वाली आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है।
- जीडीपी के द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग तब जरूरी होता है जब एक देश की अर्थव्यवस्था की तुलना दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से की जाती है। जबकि जीवीए से प्राप्त आंकड़ों से दो देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना नहीं की जा सकती है।

जीवीए व्यवस्था क्यों अपनाया गया?

- आरबीआई का यह तर्क था कि जीवीए से मिलने वाली क्षेत्रवार विकास से नीति निर्माता को ये फैसला करने में आसानी होगी की किस क्षेत्र को इंसेटिव वाले राहत पैकेज की जरूरत है।

जीवीए मॉडल पर विवाद क्यो?

- इसमें आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है।
- इसके तहत पूरे देश की विकास दर के बारे में सही आकलन नहीं हो पाता है क्योंकि इसके आंकड़े क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं।

जीडीपी मॉडल महत्वपूर्ण क्यों?

- जीडीपी आधारित पैमाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करना आसान होता है।
- इसमें जीवीए की अपेक्षा आंकड़ों से छेड़-छाड़ कम होता है तथा जानकारी भी सटीक मिलती है।
- विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीडीपी मॉडल ही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है।

आगे की राह

- यह सही है कि जीडीपी अर्थव्यवस्था को मापने में ज्यादा कारगर और सही है लेकिन यह निर्विवाद नहीं है। इसमें भी सुधार आवश्यक है।
- सरकार कोई भी हो उसे चाहिए कि आंकड़ों से ज्यादा वास्तविकता पर ध्यान दें।

- देश का विकास तभी हो सकता है जब विकास समावेशी व सतत हो तथा विकास का लाभ नीचले स्तर तक पहुंचे।
- आरबीआई को अर्थव्यवस्था का कोई एक मॉडल जो अर्थव्यवस्था के लिए सही है उसे ही लागू रखना चाहिए। बार-बार परिवर्तन से अर्थव्यवस्था के साख पर असर पड़ता है। ■

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ

प्र. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? विगत तीन वर्षों में यह किस प्रकार समाज के पिछड़े तबके एवं छोटे उद्यमियों को रोजगार सृजन करने में सहयोगी रही है, समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- मुद्रा योजना क्या है?
- मुद्रा योजना के प्रमुख उद्देश्य
- इस योजना की विशेषताएँ
- महत्व एवं लाभ
- वर्तमान में उपलब्धियाँ
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की।
- उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के दम पर 12 करोड़ परिवारों को छह लाख करोड़ रुपये कर्ज बांटा है।

पृष्ठभूमि

- प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 में शुरू किया था।
- इस योजना को छोटे कारोबारियों को ध्यान में रखकर लाया गया था।

मुद्रा योजना क्या है?

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय आरंभ करना चाहता है उसे सरकार द्वारा किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- मुद्रा योजना के तहत आवेदक को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त हो सकता है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

- सूक्ष्म वित्त के ऋणदाता और कर्जगृहिता का नियमन और सूक्ष्म वित्त प्रणाली में नियमन और समावेश भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उसे स्थायित्व प्रदान करना।

योजना की विशेषताएँ

- केंद्र सरकार मुद्रा योजना पर 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिसके लिए 3000 करोड़ धनराशि की क्रेडिट गारंटी रखी गई है।
- मुद्रा बैंक पूरे भारत के 5.77 करोड़ सूक्ष्म व्यापार इकाईयों की मदद करेगा।

उपलब्धियाँ

- मुद्रा योजना ने सामान्य व्यक्ति के हुनर को निखारने का काम किया, उस हुनर को पहचान दिलाने और लोगों को सशक्त बनाने का काम किया है।
- मुद्रा योजना के 12 करोड़ लाभार्थियों में से 55% ऋण के SC/ST/OBC समाज के युवाओं और महिलाओं को मिला है।

चुनौतियाँ

- पिछले तीन साल से चल रही मुद्रा योजना में बैड लोन 11300 करोड़ के पार पहुँच चुका है। 30 जून 2017 तक मुद्रा योजना के 39.12 लाख खाते एनपीए में तब्दील हो गए हैं।

आगे की राह

- भारत की ग्रामीण आबादी, खासकर युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार सृजन के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित हो सकती है। हालांकि छोटे उद्यमियों के साथ ही दूर दराज की आबादी को इसका लाभ पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ■

महिला सुरक्षा प्रभागः संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा

प्र. हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया प्रभाग 'महिला सुरक्षा प्रभाग' का गठन गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। यहा नया प्रभाग महिलाओं की सुरक्षा से निपटने में कितना कारगर साबित होगा समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- सरकारी पहल
- महिला सुरक्षा प्रभाग की आवश्यकता क्यो?
- महिला सुरक्षा प्रभाग से लाभ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा पर बढ़ रही चिंताओं के बीच मंत्रालय में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक नया प्रभाग 'महिला सुरक्षा प्रभाग' बनाया है।
- वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पुण्य सलिल श्रीवास्तव संयुक्त सचिव के तौर पर इस प्रभाग का नेतृत्व करेंगी।

परिचय

- आजाद भारत में महिलाएँ दिन-प्रतिदिन अपनी लगन, मेहनत एवं सराहनीय कार्यो द्वारा राष्ट्रीय पटल पर महिलाएँ अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं।
- आज महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं चाहे वो स्पोर्ट्स हो, राजनीति हो, फिल्म उद्योग या फिर प्रशासनिक क्षेत्र हो।

सरकारी पहल

- महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाएं हैं कुछ सरकारी पहल निम्न हैं।
- महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए विभिन्न कानूनों एनसीआरबी, मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा एवं पुनर्वास) विधेयक-2018, वरिष्ठ नागरिकों के गुजारे और कल्याण से संबंधित कानून-2007, निर्भया फंड, सीसीटीएनएस, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) संशोधन एक्ट-2015, क्रिमिनल लॉ (संशोधन अध्यादेश-2018) आदि की चर्चा करें।

महिला सुरक्षा प्रभाग की आवश्यकता क्यों?

- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार 2016 में देश में 3,38,954 महिलाओं से संबंधित हिंसा के मामले दर्ज हुए।
- वर्ष 2016 में कुल 64519 अपहरण के मामले दर्ज हुए।

महिला सुरक्षा प्रभाग से लाभ

- महिला सुरक्षा प्रभाग पीड़ितों के पुनर्वास में मदद करेगा साथ ही समाज के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए उचित कदम उठाने की दिशा में भी कार्य करेगा।
- महिला सुरक्षा प्रभाग के माध्यम से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की जा सकेगी।

आगे की राह

- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना होगा।
- समाज में गिरते नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए प्रत्येक आदमी को आगे आने की जरूरत है। ■

भारत-इंडोनेशिया के संबंधों में नया आयाम

प्र. "भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर (SAGAR) विज़न इंडोनेशिया की मैरीटाइम फलक्रम (आधार) नीति से मेल खाता है।" भारत-इंडोनेशिया के संबंध के संदर्भ में इस कथन की सविस्तार चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- भारत-इंडोनेशिया संबंधों की आवश्यकता
- वर्तमान परिदृश्य
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी हेतु प्रतिबद्धता जाहिर की।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजधानी जकार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधन के बाद मर्डेका पैलेस में दोनों देशों के बीच मंत्रीस्तरीय बैठक हुई जिसमें 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये।

पृष्ठभूमि

- भारत और इंडोनेशिया के बीच दो सहस्त्राब्दियों से घनिष्ठ सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक संबंध रहे हैं।
- दोनों देशों द्वारा 1955 में बांडुंग सम्मेलन में निर्गुट आंदोलन की नीव रखी गयी।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों की आवश्यकता

- आसियान क्षेत्र में इंडोनेशिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- इंडोनेशिया की युवा पीढ़ी से जुड़ने के लिए भारतीय दूतावास के फेसबुक पेज और ट्विटर का सृजन किया गया है।
- सबांग द्वीप सुमात्रा के उत्तरी छोर पर है और मलक्का स्ट्रेट के भी करीब है।

वर्तमान परिदृश्य

- रक्षा सहयोग समझौते में नियमित द्विपक्षीय वार्ता व साझा हित के सैन्य मुद्दों व सामरिक रक्षा पर सलाह, सामरिक जानकारी का आदान-प्रदान, सैन्य शिक्षण, प्रशिक्षण व अभ्यास, सेना, नौसेना, वायुसेना व अंतरिक्ष सहित सशस्त्र सेनाओं के बीच सहयोग की घोषणा की गई।
- दोनों पक्ष 2025 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुँचाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे।

चुनौतियाँ

- आने वाले वर्षों में भारत के वैश्विक पुनरूत्थान में समुद्री क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होगा।
- दक्षिणी चीन सागर में चीन ने जिस तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित किया है वो पूरे विश्व के लिए चुनौती बन गया है।

आगे की राह

- संरक्षणवाद की चुनौती झेल रही दुनिया में भारत और इंडोनेशिया अपनी परस्पर आवश्यताओं की पूर्ति के साथ-साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक एजेंडे को सिर चढ़ाने में मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। ■

पवन ऊर्जा: अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के दर्पण में

प्र. हाल ही में ग्लोबल विंड समिट का पहला संस्करण 25 से 28 सितंबर 2018 तक जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित करने की घोषणा हुई है। इस सम्मेलन की विशेषताओं को निरूपित करते हुए वर्तमान में पवन ऊर्जा की आवश्यकता का विश्लेषण करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन की विशेषताएँ

- पृष्ठभूमि
- पवन ऊर्जा के लिए वैश्विक पहल
- भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति
- इसकी आवश्यकता क्यों?
- लाभ
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में ग्लोबल विंड समिट का पहला संस्करण सितम्बर 2018 में जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित करने की घोषणा हुई है।
- चार दिवसीय कार्यक्रम में भारत, चीन अमेरिका, स्पेन और डेनमार्क समेत लगभग 100 देशों के वक्ता शामिल होंगे।

इस सम्मेलन की विशेषताएँ

- यह विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा कार्यक्रम होगा जिसका उद्देश्य नेटवर्क व्यापार एवं दुनियाभर में लोगों के बीच पवन ऊर्जा का प्रसार करना होगा।

पृष्ठभूमि

- गतिशील वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों की स्थापना की जाती है। इन चक्कियों द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पुनः इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र (डॉयनेमो) की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।

पवन ऊर्जा के लिए वैश्विक पहल

- पवन ऊर्जा के विस्तार के लिए दुनिया भर में व्यापक पहल की जा रही है। ब्रिटेन जहाँ अपने समुद्री तटों पर विंड एनर्जी के लिए पवन चक्कियों को स्थापित कर रहा है, वहीं डेनमार्क, स्वीडन आदि देश भविष्य में परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन को बंद करना चाहते हैं।

भारत में पवन ऊर्जा की स्थिति

- भारत में पवन ऊर्जा उद्योग की स्थापना 1980 के दशक के अंत में हुई थी।
- वर्तमान में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 32,280 मेगावाट की क्षमता के साथ भारत का चीन, अमेरिका तथा जर्मनी के बाद विश्व में चौथा स्थान है।

आवश्यकता क्यों?

- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए, ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा करने के लिए पवन ऊर्जा की नितांत आवश्यकता है।

लाभ

- पवन ऊर्जा के उपयोग से न तो किसी प्रकार की पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होगी न ही, ऊर्जा उत्पादन के लिए काफी कीमत चुकानी पड़ेगी। रोजगार का सृजन होगा तथा यह जीवाश्म ईंधन एवं ग्रीन हाउस गैस का बेहतर विकल्प होगा।

चुनौतियाँ

- पवन ऊर्जा से जुड़ी कुछ समस्याएँ भी हैं- जैसे इसकी कुछ तकनीकी अभी भी महंगी है, यह वायु के गति पर निर्भर है, इसलिए हमेशा उपलब्ध नहीं होता। इसके लिए खुले मैदानों, समुद्री किनारों या ऊँचें स्थानों की जरूरत होती है।

आगे की राह

- दुनिया के साथ ही भारत में 'पवन ऊर्जा' दूरस्थ क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों तथा समुद्री तटों वाले क्षेत्रों में निवासियों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है। हालांकि तकनीकी के आधार पर इससे उत्पन्न चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। ■

साइबर बुलिंग का बढ़ता खतरा

प्र. हाल ही में चर्चा में रहा साइबर बुलिंग क्या है? यह किस प्रकार बच्चों और महिलाओं के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहा है? की चर्चा करते हुए, इससे बचने के उपाय को सुझाएं।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- साइबर बुलिंग क्या है?
- वर्तमान परिदृश्य
- कानूनी प्रावधान
- एनसीईआरटी द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देश
- साइबर बुलिंग से हानि
- सरकारी प्रयास
- बचने के उपाय
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने पहली बार बच्चों की साइबर सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है।
- इन दिशा-निर्देशों को तीन हिस्सों में जारी किया गया है। पहले हिस्से में स्कूलों के लिये, दूसरे में विद्यार्थियों और तीसरे हिस्से में शिक्षकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गय हैं।

साइबर बुलिंग क्या है?

- बुलिंग का मतलब है तंग करना। जब ये बुलिंग इंटरनेट या डिजिटल तरीके से की जाये तो इसे ही साइबर बुलिंग कहते हैं।
- कई बार साइबर बुलिंग भावनात्मक रूप से बेहद परेशान कर देती है। जिससे कि मानसिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

वर्तमान परिदृश्य

- एशियन जर्नल आफ साइकायट्री की रिसर्च में दिल्ली के लगभग 20 फीसदी स्कूली बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार पाये गये हैं।

- यूनिसेफ एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर सक्रिय कुल बच्चों में से लगभग 52 फीसदी बच्चों ने यह माना कि वो खुद साइबर बुलिंग करने में शामिल हैं।
- यदि ट्विटर की बात की जाय तो 23.8% बच्चे इसके शिकार हैं।

कानून में प्रावधान

- भारत में सूचना तकनीकी कानून के अनुसार यदि कोई अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए कोई आपत्तिजनक संदेश या सामग्री भेजता या प्रकाशित करता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को मानसिक आघात पहुंचता है तो यह एक दंडनीय अपराध है।
- देश में साइबर क्राइम के मामलों में सूचना तकनीकी कानून 2000 और सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2008 लागू होते हैं।
- इसके अतिरिक्त साइबर स्टॉकिंग एक्ट 354 डी के तहत भी इस तरह के कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं।

एनसीईआरटी द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश

- स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वह साइबर सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करें कि उनके स्कूल के सभी कंप्यूटरों में लाइसेंस वाले साफ्टवेयर चल रहे हैं।
- विद्यार्थियों से कहा गया है कि वह बुलिंग के खिलाफ अविलंब शिक्षकों या अभिभावकों के पास जाकर इसकी शिकायत करें।
- शिक्षकों को निर्देश दिये गये हैं कि वह नियमित तौर पर बच्चों द्वारा प्रयोग किये जा रहे डिवाइस की ब्राउजिंग हिस्ट्री की जांच करते रहें और उन पर नजर रखें।

साइबर बुलिंग से हानि

- साइबर बुलिंग पर किये गये शोध में सामने आया कि जो बच्चे और किशोर साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं, उनके दिमाग में स्वयं को नुकसान पहुंचाने और आत्महत्या करने का विचार का खतरा दो गुना होता है।
- साइबर बुलिंग के कारण महिलाओं का शोषण बढ़ गया है। अब उन्हें अपने मोबाइल पर कई गलत और अश्लील संदेशों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकारी प्रयास

- सरकार द्वारा साइबर बुलिंग जैसे अपराधों से निपटने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरों के अंतर्गत केंद्रीय फोरेन्सिक लैब की स्थापना की गई है।
- भारत सरकार ने 'क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम' के माध्यम से ऑनलाइन साइबर शिकायतों के पंजीकरण के लिए केंद्रीकृत नागरिक पोर्टल उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

साइबर बुलिंग से बचने के उपाय

- स्कूलों में साइबर बुलिंग को लेकर शिक्षक व छात्र के बीच स्वच्छ व नियमित संवाद हो जिससे कि बच्चे इस विषय पर खुलकर जानकारी हासिल कर सकें।
- बच्चो के लिए इंटरनेट की पहुंच सीमित करना होगा ताकि वह आवश्यकतानुसार ही इसका इस्तेमाल कर सकें।

निष्कर्ष

- साइबर बुलिंग जो कि बच्चों व किशोरों के द्वारा तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है इसको रोकने के लिए सरकार से लेकर आम जनता तक आगे आना होगा तभी जाकर हम इसके प्रभाव को रोक सकते हैं। चूंकि इंटरनेट आज जीवन का अंग बन गया है इसलिए इसके इस्तेमाल से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ जागरूकता बढ़ाकर इसके नफा और नुकसान को समझा जा सकता है जिससे कि बच्चे इसका सही इस्तेमाल कर सकें। ■

पर्यावरण संरक्षण में विश्व पर्यावरण दिवस की प्रासंगिकता

प्र. विश्व पर्यावरण दिवस का परिचय देते हुए पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार द्वारा कये गये कार्यों का उल्लेख करें। साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण के कारण तथा उसके समाधान को भी बतायें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है?
- वर्तमान परिदृश्य
- सरकारी प्रयास
- पर्यावरण प्रदूषण के कारण
- पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- विश्वभर में 5 जून 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।
- विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की वैश्विक मेजबानी भारत को प्राप्त हुई है।
- इस वर्ष इसकी थीम 'बीट प्लास्टिक पोल्यूशन' यानी प्लास्टिक से होने वाले कचरे को समाप्त करना है।

पृष्ठभूमि

- 1972 में संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून को पर्यावरण पर शुरू हुए सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र आम सभा और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा कुछ प्राभकारी अभियानों को चलाने के लिए पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना हुई थी।
- इसे पहली बार 1973 में कुछ खास विषय-वस्तु के साथ मनाया गया था। जबकि 1974 से दुनिया के अलग-अलग शहरों में विश्व पर्यावरण उत्सव की मेजबानी की जा रही है।

क्यों मनाया जाता है?

- बड़े पर्यावरण मुद्दे जैसे भोजन की बरबादी और नुकसान, वनों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना इत्यादि को बताने के लिये विश्व पर्यावरण दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

- कार्बन उत्सर्जन को कम करने, ग्रीन हाउस गेसों का प्रभाव घटाने, निम्निकृत भूमि पर पेड़ लगाने के द्वारा बायो इंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है।

वर्तमान परिदृश्य

- संयुक्त राष्ट्र ने अपने एक पत्र में लिखा कि जिस तेजी से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है उससे यह तो पक्का है कि 2050 तक खाने-पीने, रहने आदि की बड़ी व्यापक समस्या उत्पन्न होगी।
- वर्तमान में पूरे विश्व में हर साल करीब 55 लाख लोग दूषित हवा की वजह से मर जाते हैं जो कुल मौतों का लगभग 10% है।
- अकेले भारत में हर साल 12 लाख लोग जहरीली हवा के कारण मर जाते हैं जिससे देश को 38 अरब डॉलर का नुकसान होता है।

सरकारी प्रयास

- भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिये 1976 में संशोधन के तहत दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 48 (ए) तथा 51ए (जी) जोड़े।
- विश्व स्तर पर भी क्योटो प्रोटोकाल, मांट्रियल प्रोटोकाल, पृथ्वी सम्मेलन आदि के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये कार्य किये गये हैं।
- इसके अलावा भारत ने जल प्रदूषण अधिनियम 1976, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय जल नीति 2002, वन अधिकार अधिनियम 2006 आदि के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये कार्य किया है।

पर्यावरण प्रदूषण के कारण

- पर्यावरण प्रदूषण के कारणों में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, आण्विक प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण आदि को रखा जा सकता है।
- इनके अंतर्गत मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन, जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना। वाहनों से निकलने वाला धुआँ, आण्विक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें। रेल इंजन, हवाई जहाज, जनरेटर, टेलीफोन वाहन की ऊँची आवाजे। जनसंख्या विस्फोट, सांस्कृतिक प्रदूषण एवं आर्थिक प्रदूषण को रखा जा सकता है।

पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय

- वाहित मल को नदियों एवं नहरों में छोड़ने से पूर्व कृत्रिम तालाबों में रासायनिक विधि द्वारा उपचारित करना चाहिए।
- वायु प्रदूषण को रोकने के लिए धुम्रपान पर नियंत्रण एवं कारखानों के चिमनियों की ऊंचाई अधिक रखना चाहिए।
- ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में लगे हार्नो, मशीनों के आवाज, कल कारखानों के तेज आवाजों पर प्रतिबंध लगाना होगा।
- रेडियोधर्मी प्रदूषण को रोकने के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादक यंत्रों की रेखभाल सही तरीके से करना होगा।

निष्कर्ष

- मानव अपने उपभोगवादी संस्कृति को बनाये रखने के लिए पर्यावरण को अधिकाधिक नुकसान पहुंचा रहा है। यदि यह नुकसान इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही मानव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएगा। पृथ्वी के सभी प्राणी पर्यावरण की छति से प्रभावित हो रहे हैं और कई तो विलुप्ति के कगार पर पहुंच गये हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के सभी देश मिलकर पर्यावरण को बचाने के हर संभव प्रयास करें जिसमें कि भारत का अहम योगदान होगा। 2018 की मेजबान देश होने के कारण भारत की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है और उम्मीद है कि भारत पूरे विश्व को साथ लेकर इस समस्या के समाधान में सफल होगा। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्रीय एजेंसी

केंद्र सरकार ने परंपरागत और आधुनिक सोशल मीडिया में महिलाओं को अभद्र और अशिष्ट रूप में प्रस्तुत करने से रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत एक केंद्रीय एजेंसी बनाने का निर्णय किया है।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 04 जून 2018 को 'महिला अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम (आईआरडब्ल्यूए) 1986' में संशोधन करने की संसदीय समिति की सिफारिश मंत्रालय ने स्वीकार कर ली है।

एजेंसी का स्वरुप

इस अधिनियम में बदलाव एवं एजेंसी के गठन के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसे लेकर वर्ष 2012 में राज्यसभा में एक संशोधित विधेयक पेश किया गया था जिसे बाद में संसद के स्थायी समिति में भेज दिया गया था। इसमें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा महिलाओं के मुद्दों पर कार्यरत किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को भी इसका सदस्य बनाया जायेगा। यह केंद्रीय एजेंसी किसी कार्यक्रम, विज्ञापन और प्रकाशन किसी भी महिला की अभद्र प्रस्तुति से संबंधित शिकायतों को सुन सकेगी और जांच कर सकेगी।

इस अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है

- विज्ञापन की परिभाषा में संशोधन में डिजिटल स्वरूप या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप अथवा होर्डिंग या एसएमएस, एमएमएस आदि के जरिए विज्ञापन को शामिल किया जाएगा।
- वितरण की परिभाषा में संशोधन में प्रकाशन, लाइसेंस या कंप्यूटर संसाधन का उपयोग कर अपलोड करने अथवा संचार उपकरण शामिल किए जाएंगे।
- प्रकाशन शब्द को परिभाषित करने के लिए नई परिभाषा को जोड़ना।
- धारा-4 में संशोधन से कोई भी व्यक्ति ऐसी सामग्री प्रकाशित या वितरित करने के लिए तैयार नहीं कर सकता, जिसमें महिलाओं का किसी भी तरीके से अशिष्ट निरूपण किया गया हो।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रदत्त दंड के समान दंड के प्रावधान।
- राष्ट्रीय महिला आयोग (एनडब्ल्यूसी) के तत्वाधान में केन्द्रीकृत प्राधिकरण का गठन। इस प्राधिकरण की अध्यक्ष एनडब्ल्यूसी की सदस्य सचिव होंगी और इसमें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे तथा महिला मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव रखने वाली एक सदस्य होंगी।
- केन्द्रीयकृत प्राधिकरण को प्रसारित या प्रकाशित किए गए किसी भी कार्यक्रम या विज्ञापन से संबंधित शिकायत प्राप्त करने और महिलाओं के अशिष्ट निरूपण से जुड़े सभी मुद्दों की जांच करने का अधिकार होगा। ■

2. केंद्र सरकार ने 'कृषि कल्याण अभियान' आरंभ किया

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि कल्याण अभियान की शुरूआत की है। इसके तहत किसानों को उत्तम तकनीक और आय बढ़ाने के बारे में सहायता और सलाह प्रदान की जाएगी।

कृषि कल्याण अभियान का आयोजन नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 01 जून 2018 से 31 जुलाई 2018 के बीच किया जा रहा है।

कार्यान्वयन प्रक्रिया

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन, डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन, कृषि

शोध एवं शिक्षा विभाग मिलकर जिलों के 25-25 गांवों में कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। प्रत्येक जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र सभी 25-25 गांवों में कार्यक्रमों को लागू करने में सहयोग करेंगे। प्रत्येतक जिले में एक अधिकारी को कार्यक्रम की निगरानी करने एवं सहयोग करने का प्रभार दिया गया है। इन अधिकारियों का चयन कृषि एवं किसान कल्यागण मंत्रालय के सार्वजनिक स्वायत्त उपक्रमों/संगठनों और सम्बद्ध कार्यालयों से किया गया है।

कृषि कल्याण अभियान की विशेषताएं

- कृषि कल्याण अभियान आकांक्षी जिलों के 1000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक 25 गांवों में चलाया जा रहा है।
- इन गांवों का चयन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है।

- जिन जिलों में गांवों की संख्या 25 से कम है, वहां के सभी गांवों को (1000 से अधिक आबादी वाले) इस योजना के तहत कवर किया जा रहा है।

कृषि कल्याण अभियान की गतिविधियां

- मृदा स्वास्थ्य कार्डों का सभी किसानों में वितरण।
- प्रत्येक गांव में जानवरों के खुर और मुंह रोग (एफएमडी) से बचाव के लिए सौ प्रतिशत बोवाइन टीकाकरण।
- भेड़ और बकरियों में बीमारी से बचाव के लिए सौ फीसदी कवरेज।
- सभी किसानों के बीच दालों और तिलहन की मिनी किट का वितरण।
- प्रति परिवार पांच बागवानी/कृषि वानिकी/बांस के पौधों का वितरण।
- प्रत्येक गांव में 100 एनएडीएपी पिट बनाना।
- कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी देना।
- सूक्ष्म सिंचाई से जुड़े कार्यक्रमों का प्रदर्शन।
- बहु-फसली कृषि के तौर-तरीकों का प्रदर्शन।

■

3. परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम 'अग्नि-5' का सफल परीक्षण

भारत ने स्वदेश में विकसित, परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-5' का ओडिशा तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अत्याधुनिक 'अग्नि-5' मिसाइल का यह छठा परीक्षण था और यह पूरी तरह सफल रहा।

खास बातें

1. परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है 'अग्नि-5'
2. मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर है
3. अग्नि-5 नयी प्रौद्योगिकी से लैस देश की अत्याधुनिक मिसाइल है।

भारत ने स्वदेश में विकसित, परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-5' का आज ओडिशा तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर है।रक्षा सूत्रों ने बताया कि सतह से सतह मार करने में सक्षम इस मिसाइल को सुबह करीब नौ बजकर 48 मिनट पर बंगाल की खाड़ी में डॉ. अब्दुल कलाम द्वीप पर एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) के लांच पैड-4 से सचल प्रक्षेपक (मोबाइल लांचर) की मदद से प्रक्षेपित किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपनी पूरी दूरी तय की एवं सभी मानकों को पूरा किया। मिशन के दौरान रडार, सभी ट्रैकिंग उपकरण ों एवं निगरानी स्टेशनों से मिसाइल के हवा में प्रदर्शन पर नजर रखी गयी और उसकी निगरानी की गयी।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के एक अधिकारी ने बताया कि 'अग्नि-5' नौवहन एवं मार्गदशन, वॉरहेड एवं इंजन के संदर्भ में नयी प्रौद्योगिकी से लैस अत्याधुनिक मिसाइल है।अधिकारी ने बताया कि 'अग्नि-5' के परीक्षण के दौरान स्वदेश निर्मित कई नयी प्रौद्योगिकियों का सफल परीक्षण हुआ। नौवहन प्रणाली, बेहद उच्च सटीक रिंग लेजर गायरो आधारित इनर्शियल नैविगेशन सिस्टम (आरआईएनएस) और अत्याधुनिक सटीक आकलन करने वाले माइक्रो नैविगेशन सिस्टम (एमआईएनएस) से यह सुनिश्चित हुआ कि मिसाइल सटीक दूरी के कुछ ही मीटर के भीतर अपने लक्ष्य बिंदु तक पहुंच गयी। 'अग्नि-5' का पहला परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को, दूसरा 15 सितंबर 2013, तीसरा 31 जनवरी 2015 और चौथा परीक्षण 26 दिसंबर 2016 को किया गया। पांचवा परीक्षण 18 जनवरी 2018 को हुआ था। सभी पांचों परीक्षण भी सफल रहे थे।

■

4. स्वर्ण पदक विजेता वेटलिफ्टर संजीता चानू डोप टेस्ट में हो गईं फेल

राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता वेटलिफ्टर संजीता चानू डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं। राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (IWF) ने यह जानकारी दी। इस घोषणा के बाद से ही संजीता चानू को अपना स्वर्ण पदक वापस करना होगा। इसके साथ ही आईडब्ल्यूएफ ने संजीता चानू को अस्थाई तौर पर सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में हिंदुस्तान द्वारा जीते हुए स्वर्ण पदकों की संख्या भी कम हो जाएगी। हिंदुस्तान ने गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में ने 26 गोल्ड मेडल जीते थे जिनमें से 5 गोल्ड मेडल वेटलिफ्टिंग में ही जीते थे। इनमें 3 मेडल महिला वेटलिफ्टरों ने जीते थे व 2 मेडल पुरुष वेटलिफ्टरों ने जीते थे।

बता दें कि गोल्डकोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में हिंदुस्तान की महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी संजीता चानू ने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के दूसरे दिन 6 अप्रैल को हिंदुस्तान को स्वर्ण पदक दिलाया था। संजीता ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर एकतरफा प्रदर्शन किया व स्त्रियों की 53 किलोग्राम भारवर्ग स्पर्धा में हिंदुस्तान की झोली में एक और स्वर्ण डाला था।

संजीता चानू ने स्नैच में 84 किलोग्राम का वजन उठाया जोकि गेम रिकार्ड रहा। वहीं, क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 108 किलोग्राम का वजन उठाया था। इस दौरान संजीता द्वारा उठाया गया कुल स्कोर 192 किलोग्राम रहा था व इसके साथ ही वह सोने का तमगा अपने नाम करने में पास रहीं थीं।

स्पर्धा का रजत पापुआन्यू गिनी की लाउ डिका ताउ को मिला, जिनका कुल स्कोर 182 रहा। कनाडा की रचेल लेब्लांग को 181 के कुल योग के साथ कांस्य से संतोष करना पड़ा। ■

5. आन्ध्र प्रदेश ने नये राजकीय प्रतीकों की घोषणा की

30 मई 2018 को आन्ध्र प्रदेश ने विभाजन के चार वर्ष बाद राज्य के नये राजकीय प्रतीकों की घोषणा कर दी है। आन्ध्र प्रदेश ने पर्यावरण, वन, विज्ञान एवं तकनीक विभाग द्वारा राज्य के नये प्रतीकों की घोषणा की है। आन्ध्र प्रदेश ने राजकीय पक्षी एवं पशु की घोषणा कर दी है। पहले तेलंगाना एवं आन्ध्र प्रदेश एक ही राज्य था परन्तु अब तेलंगाना आन्ध्र प्रदेश से अलग हो गया है जिसके बाद से सरकारी घोषणा के अनुसार राजकीय चिन्हों में विभाजन के उपरांत बदलाव किया जाना आवश्यक था। जिससे राज्य की पृथक पहचान सुनिश्चित की जा सके।

वर्ष 2014 में आन्ध्र प्रदेश को दो भागों में बांट दिया गया था। पहला आन्ध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। विभाजन के दौरान ही आन्ध्र प्रदेश के कई अहम हिस्से तेलंगाना में चले गये तथा आन्ध्र प्रदेश की परिस्थितिकी दो भागों में विभाजित हो गई जिसके चलते राज्य के राजकीय चिन्ह बदलने आवश्यक हो गये थे।

आंध्र प्रदेश के राजकीय प्रतीक

- **राजकीय पक्षी:** रामा चिलुका (Psittacula Krameri)
- **राजकीय वृक्ष:** नीम (Azadirachta indica) स्थानीय भाषा में वेपा चेट्टू
- **राजकीय पशु:** कृष्णा जिंका (Antilope cervicapra) अथवा ब्लैक बक।
- **राजकीय फूल:** चमेली (jasminnum officinale)।

तेलंगाना के राजकीय प्रतीक

- **राजकीय पक्षी:** पलापित्ता अथवा इंडियन रोलर (coracias benghalensis)। यह ओडिशा और कर्नाटक का भी राजकीय पक्षी है।
- **राजकीय वृक्ष:** जम्मी चेट्टू (prosopis cineraria)
- **राजकीय पशु:** जिंका अथवा स्पॉटेड हिरन।
- **राजकीय फूल:** तंगीडी पुव्वु (senna auriculata)। इसे राज्य के प्रसिद्ध त्यौहार बठुकम्मा में प्रयोग किया जाता है।

वर्ष 1985 में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपना राजकीय पक्षी, पशु, वृक्ष और पुष्प चिन्हित करते हुए उन्हें अधिघोषित करने के लिए कहा था। ■

6. आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018

काले धन का पता लगाने और कर चोरी में कमी लाने के आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने 'आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018' नामक नई पुरस्कार योजना जारी की है। यह योजना 2007 में जारी पुरस्कार योजना का स्थान लेगी।

संशोधित योजना के अंतर्गत भारत में आय और परिसंपत्तियों पर कर चोरी के बारे में आयकर विभाग में जांच निदेशालय के निर्दिष्ट अधिकारियों को तय प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष सूचना देने वाले व्यक्ति 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्राप्त कर सकता है।

भारत सरकार ने इससे पहले काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) तथा करारोपण अधिनियम 2015 लागू किया था ताकि भारत में कर योग्य लोगों द्वारा विदेशों में रखी गई आय और परिसंपत्तियों की जांच की जा सके। इन पर करों की वसूली की जा सके तथा दंड और मुकदमे जैसे कदम उठाए जा सकें। काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) तथा करारोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कार्रवाई योग्य ऐसी आय और परिसंपत्तियों के बारे में सूचना देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई पुरस्कार योजना में 5 करोड़ रुपये तक का पुरस्कार शामिल किया गया है। पुरस्कार राशि अधिक रखी गई है ताकि विदेशों के संभावित स्रोत आकर्षित हो सकें। इस योजना के अंतर्गत काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) तथा करारोपण अधिनियम, 2015 के तहत कार्रवाई योग्य विदेशों में आय और परिसंपत्तियों पर कर चोरी के बारे में तय प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष सूचना देने वाले व्यक्ति पुरस्कार राशि प्राप्त कर सकता है।

इस योजना के अंतर्गत सूचना निर्धारित प्रक्रिया में आयकर महानिदेशक (जांच) या अधिकृत अधिकारी को देनी होगी। इस योजना के लिए विदेशी भी पुरस्कार पाने के पात्र होंगे। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी और पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। संशोधित पुरस्कार योजना के ब्यौरे आयकर मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018 में उपलब्ध हैं जिसकी कॉपी आयकर कार्यालयों में तथा आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है। ■

7. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में रुपे कार्ड, भीम और एसबीआई ऐप लॉन्च किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई 2018 को सिंगापुर में रुपे कार्ड, भीम और एसबीआई ऐप को लॉन्च किया। भारत की रूपे डिजिटल भुगतान प्रणाली को सिंगापुर की 33 साल पुरानी नेटवर्क फोर इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर्स (एनईटीएस) से जोड़ा गया है। रूपे के सभी उपयोक्ता सिंगापुर में उन सभी जगहों पर भुगतान कर पाएंगे जहां एनईटीएस स्वीकार्य है। इसी तरह सिंगापुर एनईटीएस के धारक भारत में एनपीसीआई ई-कामर्स मर्चेंट वेबसाइट पर आनलाइन खरीद के लिए 28 लाख रूपे प्वाइंट आफ सेल टर्मिनल का इस्तेमाल कर पाएंगे।

महत्व

विश्लेषकों का मानना है कि इस पहल से जहां रूपे भुगतान प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीयकरण शुरू होगा वहीं इससे अरबों डालर के लेनदेन का मार्ग प्रशस्त होगा। 50 लाख भारतीय सिंगापुर आते हैं या यहां से गुजरते हैं।

एसबीआई द्वारा यूपीआई

- बिजनेस इवेंट के दौरान, एसबीआई की सिंगापुर शाखा के एप आधारित रुपया प्रेषण व्यवस्था की शुरुआत भी की।
- सिंगापुर में काम करने वाले भारतीय कर्मियों के लिये इस एप के जरिये भारत पैसा भेजना आसान होगा।
- स्टेट बैंक की सिंगापुर में छह शाखायें और आटो टेलर मशीनें (एटीएम) हैं।

यह सेवा एसबीआई सिंगापुर के सभी बचत खाता धारकों के लिए उपलब्ध होगी। यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन भुगतान का एक नया तरीका है। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. सऊदी महिलाओं को पहली बार मिला ड्राइविंग लाइसेंस

सऊदी अरब ने पहली बार महिलाओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की शुरूआत की। आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि 4 जून 2018 को महिलाओं के पहले समूह को ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए। एजेंसी ने कहा कि यातायात महानिदेशालय ने यहां मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंसों को सऊदी लाइसेंसों से बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सऊदी अरब दुनिया का एकमात्र देश है जहां महिलाओं को वाहन चलाने की अनुमति नहीं है।

लंबे समय के अभियान के बाद मिला अधिकार

सऊदी अरब में महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं। उन्हें अभी तक वो अधिकार भी नहीं मिले हैं, जो दुनिया के बाकी देशों की महिलाओं को हैं। यहां महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार दिलाने के लिए लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा था। कई महिलाओं को तो नियम तोड़ने के लिए सजा तक दी गई। महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार देने का यह फैसला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के 'विजन 2030' का हिस्सा है।

महिलाओं और पुरुषों के लिए एक जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होंगे जारी

सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक, इस फैसले से ट्रैफिक नियमों के कई प्रावधानों को लागू किया जाएगा, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए एक जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना भी शामिल है। ■

2. अब्दुल फतह अल सिसी पुनः बने मिस्र के राष्ट्रपति

02 जून 2018 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सिसी ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। अब्दुल फतह अल सिसी इससे पहले भी वर्ष 2014 में भारी बहुमत के साथ मिस्र के राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति के रूप में सिसी की नियुक्ति होने पर उनका स्वागत 21 तोपों की सलामी देकर किया गया।

मुख्य बातें

राष्ट्रपति के रूप में सिसी ने अपने दूसरे चार साल के कार्यकाल की शपथ ली। 2018 में हुये मिस्र के राष्ट्रपति के चुनाव में अब्दुल फतह अल सिसी 97% वैध मतों के साथ राष्ट्रपति चुने गए है। इस दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में सिसी शिक्षा और स्वास्थ्य संबन्धित विषयों पर विशेष ध्यान देंगे। वर्ष 2014 के चुनाव में भी अब्दुल फतह अल सिसी ने भारी वोटों के साथ जीत दर्ज करते हुये मिस्र के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को प्रतिस्थापित किया था। इस बार के चुनाव में मुस्तफा मूसा जो अब्दुल फतह अल सिसी के इकलौते प्रतिद्वंद्वी थे, किन्तु मुस्तफा मूसा की लोकप्रियता कम होने के कारण अब्दुल फतह अल सिसी का चुनाव में जीतना पहले से ही तय माना जा रहा था। और मुस्तफा मूसा भी सिसी के ही समर्थक थे। लोगो

का मानना है कि वर्ष 2011 के बाद अर्थव्यवस्था में आई गिरावट की स्थिति में सुधार लाने के लिए अब्दुल फतह अल सिसी का राष्ट्रपति के रूप में सत्ता में आना आवश्यक था। ■

3. भारत और सिंगापुर के बीच 8 समझौत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियेन लूंग के साथ आपसी हित से जुड़े मामलों पर बातचीत की। दोनों पक्षों के बीच सामरिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यापक मुद्दों पर वार्ता हुई। साथ ही द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते की दूसरी समीक्षा भी की।

भारत-सिंगापुर के बीच बढ़ते सहयोग को लेकर दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लंबित पड़े मामलों की समीक्षा की। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर 8 अलग-अलग क्षेत्रों में समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने संयुक्त बयान में दोनों देशों के बीच बढ़ते सामरिक सहयोग को सुरक्षा के लिहाज से अहम बताया। साथ ही उन्होने वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर नौसेना को लेकर सहयोग बढ़ाने की बात कही।

दोनों देशों के बीच नौसेना लॉजिस्टिक सहयोग, आर्थिक मामलों में व्यापक सहयोग, वित्तीय क्षेत्र में तकनीक सहयोग, मादक पदार्थों और मानव तस्करी को रोकने को लेकर भी समझौते हुए। साथ ही भारत और सिंगापुर उच्चम शिक्षा, क्षमता निर्माण, रक्षा, शहरी बुनियादी ढांचे, दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित कई अन्य क्षेत्रों में सहमति बढ़ाने को दोनों देशों ने कदम रखे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भारत में सिंगापुर के बढ़ते निवेश और आर्थिक सहयोग को लेकर मजबूत होते संबंधों को ओर बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियेन लूंग ने इस्ताना पैलेस में मुलाकात की। पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब से भी मुलाकात की। सिंगापुर और भारत बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र सहित रक्षा और सुरक्षा के मद्देनजर सहयोग बढ़ा रहे हैं। साथ ही पिछले सालों में भारत बढ़ते डिजिटल उपयोग और तकनीक आधारित सेवाओं के जरिए तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। ऐसे में सिंगापुर के साथ सहयोग भारत के लिए नए विकास के रास्ते खोल रहा है। ■

4. जॉर्डन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया

04 जून 2018 को जार्डन के प्रधानमंत्री हानी अल-मुल्की ने देशभर में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच इस्तीफा देने की घोषणा की है। अब जार्डन के नये प्रधानमंत्री के रूप में जार्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने पूर्व शिक्षामंत्री ओमार रज्जाक को नियुक्त किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ में प्रकाशित खबर के मुताबिक देशभर में व्यापक प्रदर्शनों के बाद जार्डन के प्रधानमंत्री हानी अल-मुल्क ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषण ाा की है। उन्होंने अपना इस्तीफा जार्डन के राजा अब्दुला द्वितीय को सौंप दिया है।

जार्डन में पहले से ही विवादास्पद आयकर सुधार विधेयक को लेकर सरकार की बर्खास्तगी की मांग की जा रही थी तथा सड़कों पर प्रदर्शन किये जा रहे थे। परिणामस्वरूप मुल्की को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जार्डन के प्रदर्शनकारी सरकार से आयकर कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। यह कानून वर्ष 2016 में जॉर्डन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच हस्ताक्षरित 70 करोड़ डॉलर के विस्तारित फंड सुविधा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वित्तीय सुधारों का अहम हिस्सा है। इस कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य कर संग्रह को बेहतर करना, कर चोरी पर लगाम लगाना तथा कर आय में वृद्धि करना है।

इस कानून के लागू होने के बाद से 30 करोड़ जॉर्डन दीनार की वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। जिससे वहां की जनता पर करों का बोझ पड़ना भी लाजमी है। वर्ष 2016 में हानी अल-मुल्की ने जॉर्डन के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। मुल्की को देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का श्रेय भी दिया जाता है। जार्डन की आर्थिक हालत इतनी नाजुक थी कि अभी भी उसे विदेशी सहयता लेनी पड़ रही है। जॉर्डन ने पिछले कुछ समय से तेल और आर्थिक संकट के कारण बहुत से सुधारवादी कदम उठाये हैं। जिनमें ब्रेड पर मिलने वाली सब्सिडी भी शामिल है। आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के दौरान लोगों पर कर की मात्रा बढ़ाई जाने लगी तथा कुछ नये तरह के कर लगाये जाने लगे जिससे वहां की जनता नाराजगी जताने लगी। लोग बढ़ते कर और मंहगाई को लेकर सड़कों पर नारेबाजी एवं प्रदर्शन के लिए उतर आये। बता दें कि जॉर्डन में एक बड़ी संख्या में शरणार्थी भी रहते हैं जिसमें लगभग 40 लाख फिलीस्तीनी, सीरियाई और इराकी शरणार्थी शामिल हैं। ■

5. डब्ल्यूएचओ ने भारत के डिजिटल स्वास्थ्य प्रस्ताव को दी मंजूरी

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 29 मई 2018 को कहा कि भारत द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य पर लाए गए प्रस्ताव को 71वें विश्व स्वास्थ्य सभा (वर्ल्ड हेल्थ एसेंबली) ने मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की निर्णय लेने वाली संस्था है। जेनेवा में 71वें वर्ल्ड हेल्थ एसेंबली

का आयोजन किया गया और इसमें डब्लूएचओ के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

डिजिटल स्वास्थ्य प्रस्ताव

- डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) का समर्थन करने व स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, गुणवत्ता, सुधार करने की बड़ी संभावना है।
- यह प्रस्ताव डब्ल्यूएचओ को प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र की पहचान कर डिजिटल स्वास्थ्य

के लिए वैश्विक रणनीति बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

- इसमें डब्ल्यूएचओ को अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने और वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य एजेंडे के साथ समन्वय में सदस्य देशों को अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार की बात कही गई है।
- जेपी नड्डा ने कहा कि भारत डब्ल्यूएचओ के समर्थन से निकट भविष्य में वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बना रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के 193 सदस्य देश तथा दो संबद्ध सदस्य हैं।
- यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषांगिक इकाई है।
- इस संस्था की स्थापना 07 अप्रैल 1948 को की गयी थी।
- इसका उद्देश्य संसार के लोगो के स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा करना है।

डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय स्विटजरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। ■

6. वैश्विक पर्यावरण सूचकांक में भारत निचले पायदान परः सीएसई

पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत अध्ययन संस्था सेंटर फॉर सांइस एंड एनवायरन्मेंट (सीएसई) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने, जैव विविधता के संरक्षण के नाकाफी उपायों और कार्बन उत्सर्जन में कमी के वांछित परिणाम नहीं मिलने के कारण वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) में भारत निचले पायदान पर रहा है।

पर्यावरण पत्रिका 'डाउन टू अर्थ' के आंकड़ों के हवाले से सीएसई द्वारा जारी भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 'एसओई' के अनुसार भारत ईपीआई में शामिल 180 देशों में 177वें पायदान पर रहा। सूचकांक में स्विटजरलैंड पहले स्थान पर है। साल 2016 में भारत ईपीआई में 141 वें स्थान पर था। सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने पत्रिका के सालाना आंकड़ों के हवाले से कहा कि यह रिपोर्ट विकास और पर्यावरण की चिंताओं को उजागर करती है।

रिपोर्ट के अनुसार वायु गुणवत्ता के मामले में भारत को 100 में से 5.75 अंक हासिल हुये। इस मामले में स्विटजरलैंड और जापान को 90 से अधिक अंक मिले हैं। हवा की खराब गुणवत्ता के मामले में दिल्ली सहित देश के राज्यों की राजधानियों में वायु प्रदूषण की गंभीर हालात सेहत के लिये चुनौती बन गये हैं। इनमें दिल्ली, लखनऊ, तिरूवनंतपुरम, बेंगलुरु और चेन्नई शामिल हैं।

- रिपोर्ट के मुताबिक सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के मामले में भी भारत 157 देशों में 116वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट में पर्यावरण चुनौतियों से इतर भारत में गरीबी की भी चिंताजनक हालत का खुलासा हुआ है। इसके अनुसार भारत में प्रत्येक दस में से छह लोग गरीबी के दुश्चक्र में फंसे हैं। इनकी आय 3.20 डालर प्रति दिन से कम है। रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में भी भारत का रिपोर्ट कार्ड बेहतर नहीं है। इसके अनुसार भारत के आधे से अधिक किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं। पिछले एक दशक में भारत के खाद्य निर्यात में 64 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गयी है। ■

7. दुनिया में मुंबई के लोग सबसे ज्यादा घंटे करते हैं कामः सर्वे

मुंबई देश के सबसे भागदौड़ वाले शहरों में से एक है। इतना ही नहीं एक सर्वे के मुताबिक, मुंबई के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा घंटे काम करने वाले लोग है। हाल ही में दुनियाभर के 77 बड़े शहरों में कराए गए एक सर्वे से निकलकर सामने आया है कि मुंबई के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं और सबसे ज्यादा घंटे तक काम करते हैं।

स्विस बैंक यूबीएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक मुंबई वाला सालाना औसत 3,314.7 घंटे काम करता है, जो औसतन 1,987 घंटे और रोम (1,581 घंटे) या पेरिस (1,662 घंटे) जैसे प्रमुख यूरोपीय शहरों के मुकाबले दोगुना से अधिक है।

- दुनिया में सबसे कम घंटे काम रोम के लोग करते हैं। हालांकि कमाई की बात करें तो मुंबई वालें इसमें काफी पिछड़े हुए हैं। घंटे के लिहाज से कमाई के मामले में जिनेवा, ज्यूरिख और लग्जमबर्ग शीर्ष पर हैं जबकि मुंबई सूची में नीचे से दूसरे यानी 76वें नंबर पर है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

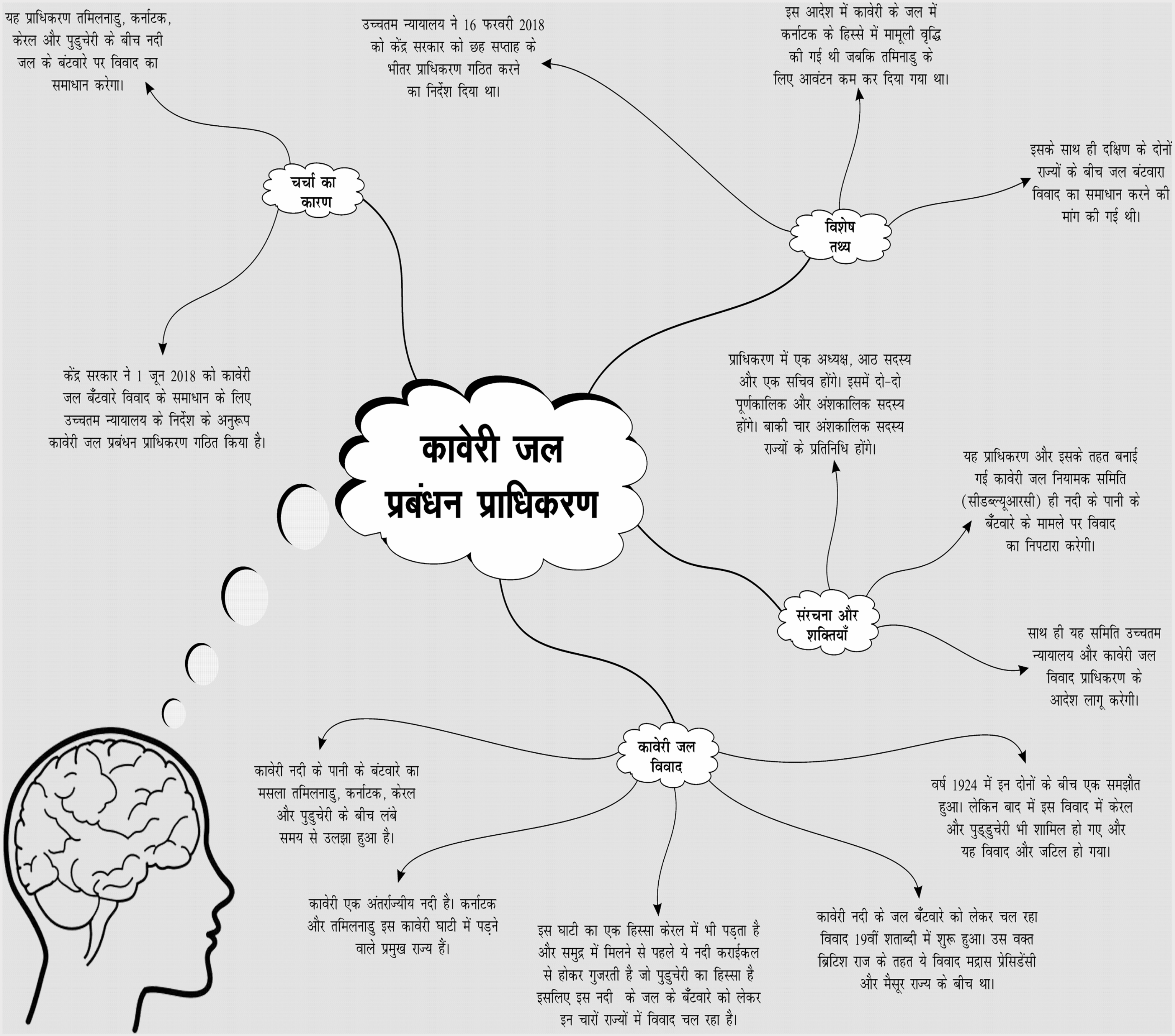
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण
चर्चा का कारण
यह प्राधिकरण तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी जल के बंटवारे पर विवाद का समाधान करेगा।
केंद्र सरकार ने 1 जून 2018 को कावेरी जल बँटवारे विवाद के समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया है।
विशेष तथ्य
उच्चतम न्यायालय ने 16 फरवरी 2018 को केंद्र सरकार को छह सप्ताह के भीतर प्राधिकरण गठित करने का निर्देश दिया था।
इस आदेश में कावेरी के जल में कर्नाटक के हिस्से में मामूली वृद्धि की गई थी जबकि तमिनाडु के लिए आवंटन कम कर दिया गया था।
इसके साथ ही दक्षिण के दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारा विवाद का समाधान करने की मांग की गई थी।
संरचना और शक्तियाँ
प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, आठ सदस्य और एक सचिव होंगे। इसमें दो-दो पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होंगे। बाकी चार अंशकालिक सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे।
यह प्राधिकरण और इसके तहत बनाई गई कावेरी जल नियामक समिति (सीडब्ल्यूआरसी) ही नदी के पानी के बँटवारे के मामले पर विवाद का निपटारा करेगी।
साथ ही यह समिति उच्चतम न्यायालय और कावेरी जल विवाद प्राधिकरण के आदेश लागू करेगी।
कावेरी जल विवाद
कावेरी नदी के पानी के बंटवारे का मसला तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच लंबे समय से उलझा हुआ है।
कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है। कर्नाटक और तमिलनाडु इस कावेरी घाटी में पड़ने वाले प्रमुख राज्य हैं।
इस घाटी का एक हिस्सा केरल में भी पड़ता है और समुद्र में मिलने से पहले ये नदी कराईकल से होकर गुजरती है जो पुडुचेरी का हिस्सा है इसलिए इस नदी के जल के बँटवारे को लेकर इन चारों राज्यों में विवाद चल रहा है।
कावेरी नदी के जल बँटवारे को लेकर चल रहा विवाद 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। उस वक्त ब्रिटिश राज के तहत ये विवाद मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच था।
वर्ष 1924 में इन दोनों के बीच एक समझौत हुआ। लेकिन बाद में इस विवाद में केरल और पुड्डुचेरी भी शामिल हो गए और यह विवाद और जटिल हो गया।

राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन

चर्चा का कारण

- राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 7 मई 2018 को सदन के नियमों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव करने और विशेष रूप से सदन की कार्यवाही में जानबूझकर बाधा डालने वाले सदस्य के स्वत: निलंबन का प्रावधान करने के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की है।
- उच्च सदन का कामकाज बेहतर ढंग से चलाने के उद्देश्य से नियमों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव करने का फैसला किया गया है। यह समिति सांसदों एवं विशेषज्ञों से बात करके तथा विभिन्न देशों के सदनों के नियमों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें देगी।

समिति का स्वरूप

- समिति की अध्यक्षता राज्यसभा पूर्व महासचिव वी के अग्निहोत्री करेंगे और उसमें विधि मंत्रालय के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव आर एस धलेता भी शामिल होंगे।
- यह समिति दो भोगों में रिपोर्ट पेश करेगी और पहली रिपोर्ट तीन महीने में दे देगी।
- समिति की सिफारिशें सदन की नियम संबंधी समिति के पास भेजी जाएगी जो राजनीतिक दलों एवं सांसदों से विचार-विमर्श के बाद सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

नियमों में बदलाव की आवश्यकता क्यों?

- बजट सत्र के दूसरे चरण में हंगामे के कारण कोई कामकाज नहीं हो पया था।
- इसी के मद्देनजर नियमों में बदलाव करने हंगामा करने वालों के खिलाफ स्वत: निलंबन का प्रावधान किया जा रहा है।
- सदन में सभापति के आसन के पास आकर बार-बार हंगामा करने वाले सदस्यों के स्वत: निलंबन का प्रावधान राज्यसभा में नहीं है।

राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियाँ

- लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई हैं।
- संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया जाए।
- लोकसभा से स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जायेंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। अनुच्छेद 249 के अनुसार, राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है।

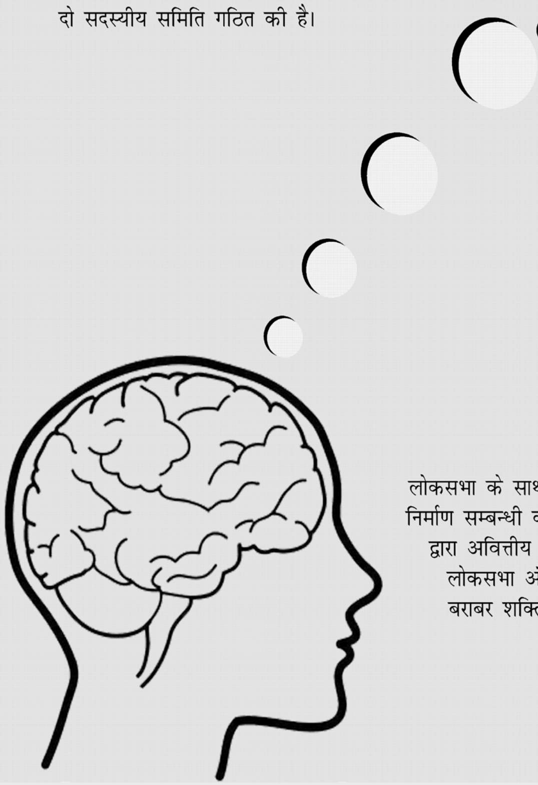

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

प्रमुख तथ्य

- पहले गाँवों के वैसे क्लस्टर सघनता वाले माने जाते थे, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय की कम से कम आबादी 50 प्रतिशत हो, लेकिन अब जनसंख्या मानक को घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।
- पहले केवल उन शहरों को अल्पसंख्यक सघनता वाला माना जाता था, जो बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक-आर्थिक मानकों में पिछड़े थे। अब दोनों में से कोई एक मानक वाले शहर माने गए हैं।
- अल्पसंख्यक सघनता वाले शहरों तथा गाँवों के क्लस्टरों को चिन्हित करने के मानक घटा कर विवेकसंगत बनाया गया है और अन्य तरीकों से पिछड़ेपन के मानकों को पूरा किया गया है।
- पुनर्गठित कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक-आर्थिक संरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा। इससे पिछड़ेपन के मामले में राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच खाई में कमी आएगी।
- बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में देश के 196 जिले कवर किए गए थे, जबकि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में देश के 308 जिले कवर किये जाएंगे।

चर्चा का कारण

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रूप में नामकरण करने तथा इसके पुनर्गठन को मंजूरी दी है।
- समिति ने इसे 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के दौरान जारी रखने को भी मंजूरी दी है।

पृष्ठभूमि

- यह कार्यक्रम 2008-2009 में चिन्हित अल्पसंख्यक सघनता वाले उन 90 जिलों में लॉन्च किया गया था, जिनमें अल्पसंख्यक आबादी कम से कम 25 प्रतिशत है और पिछड़ेपन के एक या दोनों मानकों में राष्ट्रीय औसत से नीचे हों, ताकि सामाजिक, आर्थिक तथा बुनियादी सुविधाएँ विकसित की जा सकें।
- 196 जिलों में कुल ब्लॉक 710, कुल शहर 66 थे। एमएसडीपी अभी 27 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहा है।
- परियोजनाओं में अतिरिक्त क्लासरूम, प्रयोगशालाएँ, स्कूल भवन, छात्रावास, शौचालय, पॉलीटेक्निक, आईआईटी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/उप केंद्र/आंगनबाड़ी केंद्र, ग्रामीण आवास के लिये भवन आदि शामिल हैं।
- एमएसडीपी के अंतर्गत ऐसी नवाचारी परियोजना को लेने का प्रावधान है, जो विभिन्न मंत्रालयों के वर्तमान सीएसएस द्वारा कवर नहीं की गई है और जिनका धन पोषण 60:40 अनुपात के आधार पर होता है और पूर्वोत्तर राज्यों तथा पर्वतीय राज्यों में यह अनुपात केंद्र और राज्यों के बीच 90:10 का है।

धन आवंटन का आधार

- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 80 प्रतिशत संसाधनों का निर्धारण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिये होगा।
- योजना का धन पोषण मंत्रालय के बजटीय प्रावधान से किया जाएगा। व्यय विभाग की व्यय वित्त समिति ने इस कार्यक्रम को 3,972 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के साथ जारी रखने की सिफारिश की है।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 33 से 40 प्रतिशत संसाधन विशेष रूप से महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिये आवंटित किये जाएंगे।

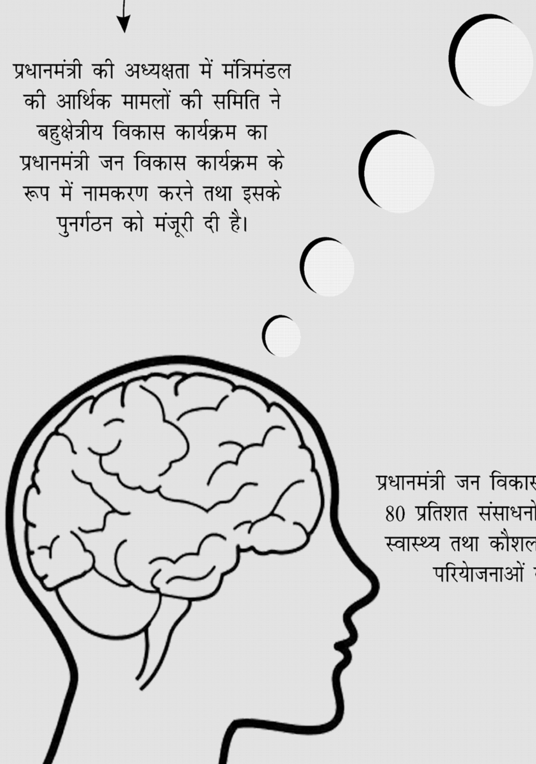

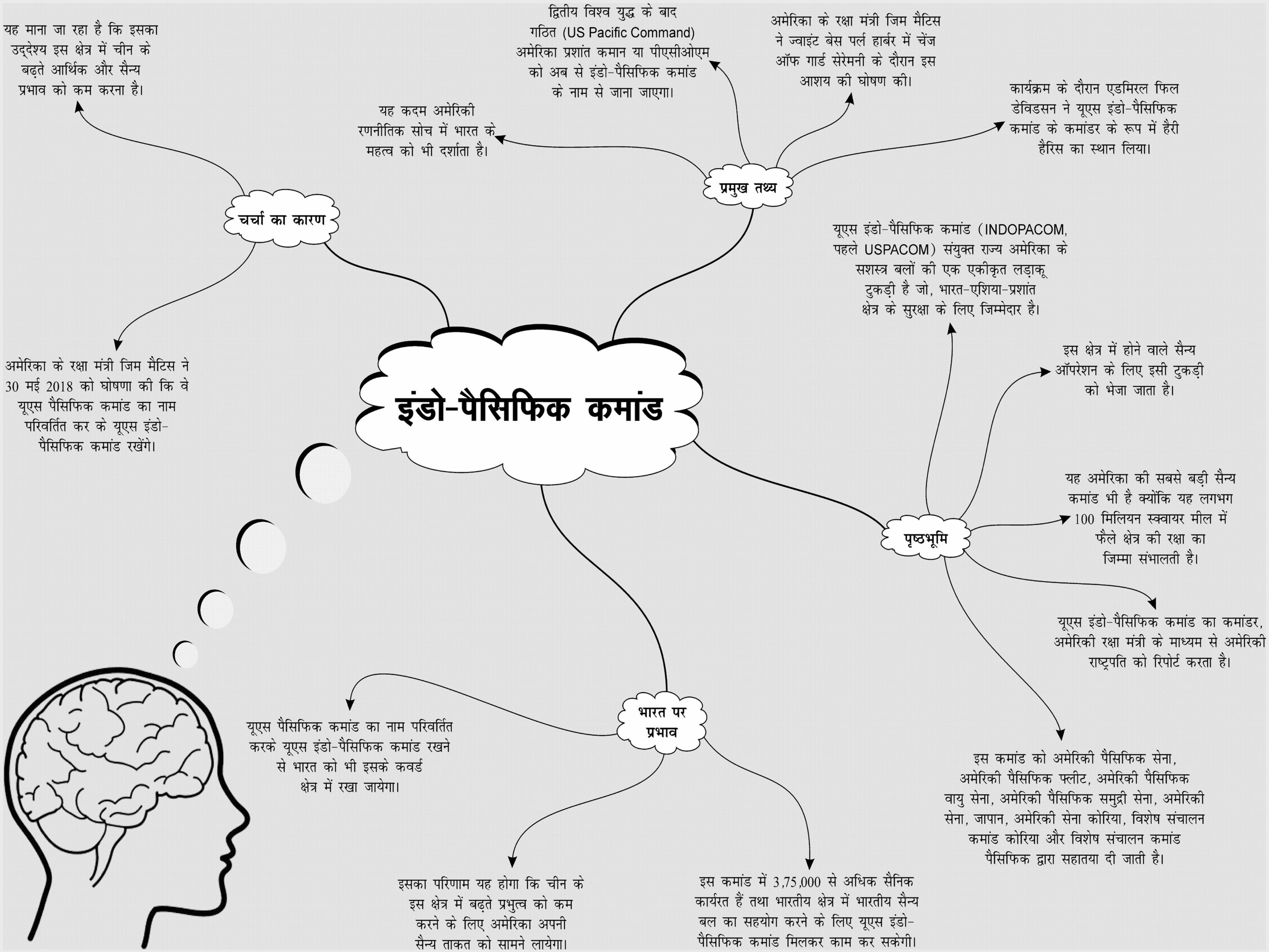
इंडो-पैसिफिक कमांड
चर्चा का कारण
यह माना जा रहा है कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव को कम करना है।
अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने 30 मई 2018 को घोषणा की कि वे यूएस पैसिफिक कमांड का नाम परिवर्तित कर के यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड रखेंगे।
प्रमुख तथ्य
यह कदम अमेरिकी रणनीतिक सोच में भारत के महत्व को भी दर्शाता है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित (US Pacific Command) अमेरिका प्रशांत कमान या पीएसीओएम को अब से इंडो-पैसिफिक कमांड के नाम से जाना जाएगा।
अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने ज्वाइंट बेस पर्ल हार्बर में चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी के दौरान इस आशय की घोषणा की।
कार्यक्रम के दौरान एडमिरल फिल डेविडसन ने यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड के कमांडर के रूप में हैरी हैरिस का स्थान लिया।
पृष्ठभूमि
यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड (INDOPACOM, पहले USPACOM) संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों की एक एकीकृत लड़ाकू टुकड़ी है जो, भारत-एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
इस क्षेत्र में होने वाले सैन्य ऑपरेशन के लिए इसी टुकड़ी को भेजा जाता है।
यह अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य कमांड भी है क्योंकि यह लगभग 100 मिलियन स्क्वायर मील में फैले क्षेत्र की रक्षा का जिम्मा संभालती है।
यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड का कमांडर, अमेरिकी रक्षा मंत्री के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है।
इस कमांड को अमेरिकी पैसिफिक सेना, अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट, अमेरिकी पैसिफिक वायु सेना, अमेरिकी पैसिफिक समुद्री सेना, अमेरिकी सेना, जापान, अमेरिकी सेना कोरिया, विशेष संचालन कमांड कोरिया और विशेष संचालन कमांड पैसिफिक द्वारा सहातया दी जाती है।
भारत पर प्रभाव
यूएस पैसिफिक कमांड का नाम परिवर्तित करके यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड रखने से भारत को भी इसके कवर्ड क्षेत्र में रखा जायेगा।
इसका परिणाम यह होगा कि चीन के इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभुत्व को कम करने के लिए अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को सामने लायेगा।
इस कमांड में 3,75,000 से अधिक सैनिक कार्यरत हैं तथा भारतीय क्षेत्र में भारतीय सैन्य बल का सहयोग करने के लिए यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड मिलकर काम कर सकेगी।

शांगरी-ला डायलॉग और भारत

चर्चा का कारण

- हाल ही में 3 दिवसीय 17वीं शांगरी ला वार्तालाप 1-3, जून 2018 में सिंगापुर में उद्घाटित की गयी।
- 17 देशों के रक्षा मंत्रियों, 40 से अधिक देशों के उच्च स्तरीय सैन्य अफसरों और विद्वानों समेत 6 सौ से ज्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया।
- शांगरी-ला डायलॉग में संबोधन करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के सम्बोधन का मूल पाठ

- अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत के विचार और क्षेत्रीय सहयोग में भारत की भूमिका की व्याख्या की।
- भारत-चीन संबंध की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हम दोनों विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं और दोनों का आर्थिक विकास तेज है।
- चीन और भारत की स्थिरता और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध विश्व शांति एवं विकास की कुंजी है।
- हिंद-प्रशांत का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वार्ता के माध्यम से क्षेत्र के लिए एक साझा नियम आधारित व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, आसियान आने वाले समय में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के केंद्र में होगा।
- उन्होंने कहा कि परियोजनाएं निश्चित रूप से व्यापार को प्रोत्साहित करें न कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा।
- इस सिद्धांत पर हम किसी के साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं।
- आतंकवाद और कट्टरता जैसी बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बारे में उन्होंने कहा कि, परस्पर आश्रित समृद्धि और विफलताओं की दुनिया में कोई भी देश अपने दम पर खुद को न तो आकार दे सकता है और न ही सुरक्षित रह सकता है।

शांगरी-ला डायलॉग

- शांगरी ला वार्ता (एसएलडी) एक स्वतंत्र थिंक टैंक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (आईआईएसएस) द्वारा सालाना आयोजित होने वाले "ट्रैक वन" अंतर-सरकारी सुरक्षा मंच है।
- इसमें 28 एशिया-प्रशांत राज्यों के रक्षा मंत्री, मंत्रालयों के स्थायी प्रमुख और सैन्य प्रमुख भाग लेते हैं।
- इस फोरम का नाम सिंगापुर में स्थित शांगरी-ला होटल के नाम पर रखा गया है जहाँ इसे पहली बार वर्ष 2002 में आयोजित किया गया था।

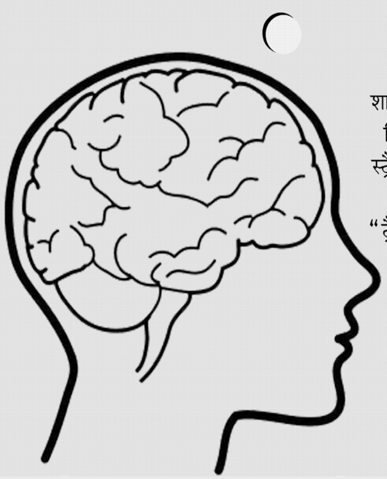

वैज्ञानिकों द्वार 3डी प्रिंटेड कार्निया विकसित

चर्चा का कारण

- यह खोज एक्सपेरिमेंटल आई रिसर्च नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से किसी स्वस्थ दानकर्ता के कॉर्निया की स्टेम सेल को एक साथ मिलाकर दृष्टिहीनता का समाधान निकाला जा सकता है।
- इस पूरी प्रक्रिया को 3डी बायो प्रिंटर के माध्यम से बताया गया है।
- वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव आँखों के 3डी प्रिंटेड कॉर्निया बनाया है। इससे नेत्रदान करने वालों की कमी दूर करने और दृष्टि बाधित लाखों लोगों को रोशनी लौटाने में मदद मिल सकती है।

क्यों है जरूरी?

- मानव शरीर में आँखों की बाहरी परत के रूप में कॉर्निया दृष्टि को फोकस करने में अहम भूमिका निभाता है।
- हालांकि विज्ञान जगत में यह एक बड़ी समस्या रही है कि प्रत्यारोपण के लिए कॉर्निया उपलब्ध नहीं हो पाती है।
- विश्वभर में प्रत्येक वर्ष लगभग एक करोड़ लोगों को कॉर्निया से संबद्ध दृष्टिहीनता दूर करने के लिए ऑपरेशन की जरूरत होती है।
- आँखों से संबंधित संक्रामक रोग जैसे कि ट्रैकोमा के कारण लोगों को कॉर्निया के ऑपरेशन की जरूरत होती है। इसके आलावा जलने, जख्म, खरोंच या किसी बीमारी के चलते कॉर्निया के क्षतिग्रस्त होने के कारण करीब 50 लाख लोग पूरी तरह से दृष्टिहीनता के शिकार हो जाते हैं।

भारत में दृष्टिहीनता और खोज का महत्व

- भारत में दृष्टिहीनता नियंत्रण, राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष 1976 में पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित परियोजना के रूप में 2020 तक दृष्टिहीनों की संख्या 0.3 प्रतिशत करने के लक्ष्य से शुरू किया गया।
- वर्ष 2006-07 के एक सर्वेक्षण के अनुसार दृष्टिहीनता 2001-2002 के 1.1 से घटकर 2006-07 में 1 प्रतिशत रह गई है।
- इसके तहत लाभार्थी मोतियाबिंद अपवर्तक त्रुटि कॉर्निया अंधत्व जैसे अंधेपन के मुख्य कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा इसका इलाज करा सकते हैं।
- 3डी कॉर्निया की खोज भारत के लिए फिलहाल महंगी साबित हो सकती है लेकिन इसके फायदों से इंकार नहीं किया जा सकता।
- यदि भारत में सरकारी सहायता से इन तकनीक को लॉन्च किया जाता है तो लाखों लोगों को इसका फायदा हो सकता है।

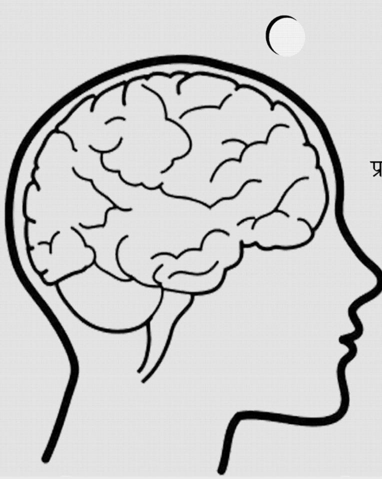

वर्ल्ड चाइल्डहुड इंडेक्स–2018

चर्चा का कारण

- 2017 में भारत इस सूची में 116वें स्थान पर था। हाल ही में जारी हुई 'इंड ऑफ चाइल्डहुड' शीर्षक वाली रिपोर्ट में बाल विवाह दर में कमी के लिए भारत की उपलब्धि की सराहना की गई।
- बाल विवाह सूचकांक में बेहतर स्थान पाने की वजह से भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
- भारत ने वर्ल्ड चाइल्डहुड इंडेक्स में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, वैश्विक बाल अधिकार समूह 'सेव द चिल्ड्रेन' द्वारा 175 देशों की सूची में यह 113वें स्थान पर पहुंच गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- वैश्विक बाल अधिकार समूह 'सेव द चिल्ड्रेन' के अनुसार इसमें यह कहा गया है कि पोषण, शिशु-मृत्युदर और बालश्रम देश में गंभीर चिंता का विषय रहा है।
- देश में वर्ष 2016 में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्युदर प्रति 1000 बच्चों पर 43 थीं। जबकि इसी वर्ष प्रति 1000 जन्मे नवजातों (2 वर्ष से कम) में 39 नवजात की मौत दर्ज की गई।
- रिपोर्ट में जिस अन्य चुनौती का उल्लेख किया गया वह है किशोरावस्था में गर्भावस्था। भारत में 15 से 19 साल की उम्र की एक हजार लड़कियों में से 23.3 फीसदी लड़कियां बच्चों को जन्म देती हैं।

बाल-विवाह की समस्या

- सेव द चिल्ड्रेन इंडिया की सीईओ विदिशा पिल्लई ने कहा, "बाल विवाह में कमी भारत की प्रगति का सूचक है।
- हालांकि भारत में 30 फीसदी लड़कियों का विवाह अभी भी 18 साल की उम्र से कम में हो जाता है।
- उन्होंने कहा, "देश में अभी भी कई बच्चे, एक लड़की या गरीब होने के कारण सुविधाओं से वंचित हैं।
- जल्दी विवाह, बाल मजदूरी और कुपोषण कुछ ऐसी वजह हैं, जिनके कारण बच्चे अपने बचपन से वंचित रह जाते हैं।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण

प्र. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यह प्राधिकरण तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी जल के बँटवारे पर विवाद का समाधान करेगा।
2. यह प्राधिकरण और इसके तहत बनाई गई कावेरी जल नियामक समिति (सीडब्ल्यूआरसी) ही नदी के पानी के बँटवारे के मामले पर विवाद का निपटारा करेगी।
3. इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, आठ सदस्य और एक सचिव होंगे। इसमें दो-दो पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होंगे। बाकी चार अंशकालिक सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) केवल 1 व 3

(d) 1, 2 व 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः केंद्र सरकार ने 1 जून, 2018 को कावेरी जल बद्वटवारे के विवाद के समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया है। यह प्राधिकरण कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच नदी जल बँटवारे पर विवाद का समाधान करेगा। 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' के संदर्भ में तीनों कथन सत्य है अतः उत्तर (d) होगा। ■

2. राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन

प्र. राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में ज्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
2. लोकसभा से स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जायेंगे, राज्यसभा द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा।
3. अनुच्छेद 249 के अनुसार लोकसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) केवल 1 व 3

(d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (b)

व्याख्याः संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। वहीं अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा (न की लोकसभा) उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। अतः राज्यसभा के संदर्भ में कथन (1) व कथन (3) दोनों गलत हैं इसलिए उत्तर (b) होगा। ■

3. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

प्र. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. इस कार्यक्रम के पहले केवल उन शहरों को अल्पसंख्यक सघनता वाला माना जाता था जो बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक-आर्थिक मानकों में पिछड़े थे। अब दोनों में से कोई एक मानक वाले शहर अल्पसंख्यक संघनता वाले शहर माने गये हैं।
2. जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक-आर्थिक संरचना एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।
3. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 33 से 40 प्रतिशत संशोधन विशेष रूप से महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आवंटित किये जाएंगे।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2

(b) केवल 2 व 3

(c) केवल 1 व 3

(d) 1, 2 व 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जन

विकास कार्यक्रम के रूप में नामकरण करने तथा इसके पुर्नगठन को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक आर्थिक संरचना एवं सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसके अंतर्गत 33 से 40 प्रतिशत संसाधन विशेष रूप से महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आवंटित किये गये हैं। इस कार्यक्रम के संदर्भ में दिये गये सभी कथन सत्य हैं इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

4. इंडो–पैसिफिक कमांड

प्र. इंडो-पैसिफिक कमांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड, संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों की एक एकीकृत लड़ाकू टुकड़ी है जो भारत-एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है।
2. यूएस पैसिफिक कमांड का नाम परिवर्तित करके यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड रखने से भारत को भी इसके कवर्ड क्षेत्र में रखा जाएगा।
3. यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड का कमांडर अमेरिकी रक्षा मंत्री के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) केवल 1 व 3

(d) 1, 2 व 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने 30 मई 2018 को घोषणा की कि वे यूएस पैसिफिक कमांड का नाम परिवर्तित करके यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड रख रहे हैं। यह कदम अमेरिकी रणनीति के सोच में भारत के महत्व को भी दर्शाता है। इस कमांड में 375,000 से अधिक सैनिक कार्यरत है तथा भारतीय क्षेत्र में भारतीय सैन्य बल का सहयोग करने के लिये यूएस-इंडो पैसिफिक कमांड मिलकर काम करेगी। इस कमांड का नाम बदलकर भारत को भी इसके कवर्ड क्षेत्र में लाने की बात की गई है। इसके साथ इस कमांड क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। इस तरह दिए गये सभी कथन सत्य हैं इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

5. शांगरी–ला डायलॉग और भारत

प्र. शांगरी-ला डायलॉग और भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. हाल ही में 17वीं शांगरी-ला वार्तालाप 1-3 जून, 2018 को सिंगापुर में संपन्न हुआ।
2. इस फोरम का नाम सिंगापुर में स्थित शांगरी-ला होटल के नाम पर रखा गया है जहाँ इसे पहली बार वर्ष 2002 में आयोजित किया गया था।
3. शांगरी-ला डायलॉग में संबोधन करने वाले प्रधानमंत्री मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 व 2

(c) 1, 2 व 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (b)

व्याख्याः शांगरी-ला वार्ता एक स्वतंत्र थिंक टैंक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (आईआईएसएस) द्वारा सालाना आयोजित होने वाला "ट्रैक वन" अंतर-सरकारी सुरक्षा मंच है। हाल ही में तीन दिवसीय 17वीं शांगरी-ला वार्तालाप 1-3 जून, 2018 को सिंगापुर में संपन्न हुई अतः कथन (1) सही है। इस फोरम का नाम सिंगापुर में स्थित शांगरी-ला होटल के नाम पर रखा गया है जहां इसे पहली बार 2002 में आयोजित किया गया था। अतः कथन (2) भी सही है। शांगरी-ला डायलॉग में संबोधन करने वाले प्रधानमंत्री मोदी प्रथम प्रधानमंत्री हैं (न कि दूसरे प्रधानमंत्री) अतः कथन (3) गलत है इसलिए उत्तर (b) होगा। ■

6. वैज्ञानिकों द्वारा 3डी प्रिंटेड कार्निया विकसित

प्र. वैज्ञानिकों द्वारा विकसित 3डी प्रिंटेड कार्निया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. वैज्ञानिकों ने पहली बार 3डी प्रिंटेड मानव आँख की कॉर्निया बनाया है। इससे नेत्रदान करने वालों की कमी दूर करने और दृष्टिबाधित लाखों लोगों को रोशनी लौटाने में मदद मिल सकती है।
2. मानव शरीर में आंखों की बाहरी परत के रूप में कॉर्निया दृष्टि को फोकस करने में अहम भूमिका निभाता है।
3. भारत में दृष्टिहीनता नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष 1976 में पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित परियोजना के रूप में 2020 तक दृष्टिहीनों की संख्या 0.3 प्रतिशत करने के लक्ष्य से शुरू किया गया था।
4. वर्ष 2006-07 के एक सर्वेक्षण के अनुसार दृष्टिहीनता 2001-2002 के 1.1 से बढ़कर 2006-07 में 2 प्रतिशत हो गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 व 3

(c) केवल 4 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव आँखों के लिए 3डी कॉर्निया बनाया है। इससे नेत्रदान करने वालों की कमी दूर करने और दृष्टि बाधित लाखों लोगों को रोशनी लौटाने में मदद मिल सकती है। वर्ष 2006-07 के एक सर्वेक्षण के अनुसार दृष्टिहीनता 2001-2002 के 1.1 से घटकर 1 प्रतिशत रह गई है (न कि बढ़कर 2 प्रतिशत हो गई है) अतः कथन (4) सही नहीं है। इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

7. वर्ल्ड चाइल्डहुड इंडेक्स–2018

प्र. वर्ल्ड चाइल्डहुड के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें-

(a) भारत ने वर्ल्ड चाइल्डहुड इंडेक्स में सुधार कर 175 देशों की सूची में 110वें स्थान पर पहुंच गया है।

(b) भारत में 30 फीसदी लड़कियों का विवाह अभी भी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है।

(c) बाल विवाह सूचकांक में बेहतर स्थान पाने की वजह से भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।

(d) रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 19 साल की उम्र की एक हजार लड़कियों में से 23.3 फीसदी लड़कियाँ बच्चे को जन्म देती हैं।

उत्तर: (a)

व्याख्या: भारत ने वर्ल्ड चाइल्डहुड इंडेक्स में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। इस वर्ष 175 देशों की सूची में भारत 113वें स्थान (न कि 110वें) पर पहुंच गया है। अत: कथन a गलत है। इसके अलावा वर्ल्ड चाइल्डहुड के संदर्भ में दिए गये सभी कथन सत्य हैं। इसलिए उत्तर (a) होगा।

■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में म्यांमार ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है?

   - इजराइल

2. हाल ही में यूएस पैसिफिक कमांड के कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

   - फिल डेविडसन

3. हाल ही में किस देश में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगाई गई है?

   - डेनमार्क

4. हाल ही में मुख्य वन संरक्षक हेड ऑफ फॉरेस्ट अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

   - सीएस रत्नासामी

5. हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के किस राज्य के ताजा फलों और सब्जियों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है?

   - केरल

6. हाल ही में भारत के उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

   - पंकज सरन

7. हाल ही में इटली के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

   - कार्लो कॉटारेली

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

1. मौन सबसे सशक्त भाषण है, धीरे-धीरे दुनिया आपको सुनेगी।

   - *महात्मा गाँधी*

2. विश्व एक व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं।

   - *स्वामी विवेकानन्द*

3. अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो।

   - *अब्दुल कलाम*

4. खुश रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत मुश्किल है।

   - *रबीन्द्रनाथ टैगोर*

5. मजबूत आदमी वह नहीं है जो एक अच्छा पहलवान है, मजबूत आदमी सिर्फ वही है जो क्रोध आने पर खुद को नियंत्रित करता है।

   - *पैगंबर मुहम्मद*

6. भ्रष्टाचार को पकड़ना बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं पूरे जोर के साथ कहता हूँ कि यदि हम इस समस्या से गंभीरता और दृढ संकल्प के साथ नहीं निपटते तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असफल होंगे।

   - *लालबहादुर शास्त्री*

7. प्यार हमेशा आदमी के चरित्र को ऊपर उठाता है, यह कभी उसे कम नहीं करता है, बल्कि प्यार और प्रेम प्रदान करता है।

   - *भगत सिंह*

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. लीग आफ नेशन्स के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। इसकी असफलता का क्या कारण था? चर्चा करें।

2. नीति आयोग द्वारा आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस को बढ़ावा देने के कदम का परिक्षण करें। भारत में आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में क्या बाधाएं हैं?

3. हाल ही में शिमला में हुए जल संकट की चर्चा करते हुए भारत में जल संकट को दूर करने के लिए किए गए उपायों की आलोचनात्मक समीक्षा करे।

4. अशोक के धम्म के बारे में चर्चा करें।

5. मधुबनी पेंटिंग के बारे में चर्चा करते हुए वर्तमान में इसकी स्थिति का वर्णन करें।

6. बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण लौह एवं रक्त की नीति से किया। समीक्षा करें।

7. मूल्य किसी भी संस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चर्चा करें।